gradeup

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स फरवरी 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

राजनीति एवं शासन

साथी पहल

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पेशेवर रूप से प्रबंधित मजबूत एस एंड टी बुनियादी ढांचे के साझा निर्माण के लिए परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता संस्थानों नामक एक योजना शुरू की है।

पहल का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश में साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित और मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना केंद्र प्रदान करना है, जो अकादमिक, स्टार्ट-अप, विनिर्माण, उद्योग और आर एंड डी प्रयोगशालाओं के लिए आसानी से पहुँच योग्य है।

साथी के संदर्भ में जानकारी

- इन केंद्रों से उच्च अंत विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों की अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार विदेशी स्रोतों पर दोहराव और कम निर्भरता से बचा जा सकता है।
- इनका संचालन पारदर्शी, खुली पहुंच नीति के साथ किया जाएगा।
- यह हमारे संस्थानों में महंगे उपकरणों की पहुंच, रखरखाव, अतिरेक और दोहराव की समस्याओं को भी संबोधित करेगा, जबकि जरूरत में कम संपन्न संगठनों जैसे: उद्योग, एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप और राज्य विश्वविद्यालयों में पहुंच जाएगा।
- वर्तमान में, डी.एस.टी. ने पहले ही देश में तीन ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक आई.आई.टी. खड़गपुर, आई.आई.टी. दिल्ली और बी.एच.यू. में स्थित है।
- अगले चार वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष पांच साथी केंद्र स्थापित करने की योजना है।

ग्राम न्यायालय

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को निर्देशित किया है, जिन्हें चार सप्ताह के भीतर ऐसा करने हेतु अभी ग्राम न्यायलय की स्थापना के लिए अधिसूचनाएं निकालनी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि कई राज्यों ने ग्राम न्यायलय की स्थापना के लिए अधिसूचनाएँ जारी की हैं लेकिन ये सभी केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को छोड़कर काम नहीं कर रहे थे।

ग्राम न्यायालय या ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में जानकारी

- ग्राम न्यायालय, भारत में ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित गतिशील ग्राम न्यायालय हैं।
- उनकी स्थापना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करना है।
- उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर सस्ता न्याय प्रदान करना है।
- यह आपराधिक और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है।
- यह आपराधिक मामलों, सिविल मुकदमों, दावों या विवादों की कोशिश कर सकता है जिन्हें प्रथम अनुसूची और ग्राम न्यायालय अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ग्राम न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं और इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं।

नोट:

- ग्राम न्यायलय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होगा।

पोर्टल संतुष्ट

- श्रम एवं रोजगार के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (I/ C) ने लोकसभा में संतुष्ट पोर्टल के संदर्भ में एक प्रश्न का लिखित उत्तर दिया है।

संतोष पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के कार्यालय के अंतर्गत किया गया है।
- 'संतुष्ट' का उद्देश्य निरंतर निगरानी के माध्यम से जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण और नीतियों के कार्यान्वयन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देना है।

जनता की शिकायतों हेतु अन्य पोर्टल

सी.पी.ग्राम पोर्टल

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लोक शिकायत निदेशालय और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों द्वारा मंत्रालयों या विभागों की शिकायतों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है जो इन शिकायतों के त्वरित और अनुकूल निवारण के लिए जांच और कार्रवाई करते हैं।

राष्ट्रीय खेलों हेतु नया शुभंकर: फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल

- फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल, जिसे रूबिगुला भी कहा जाता है, को गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया है।

फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल के संदर्भ में जानकारी

- फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल (पाइकोनोटस गुलरिस), जिसे रूबिगुला के नाम से भी जाना जाता है, पासरीन पक्षियों के बुलबुल परिवार का एक सदस्य है।
- यह गोवा का राज्य पक्षी है।
- ये केवल दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट के जंगलों में पाए जाते हैं।

संरक्षण स्तर

- इन पक्षियों को आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट में न्यूनतम चिंतनीय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची IV प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

15वां वित्त आयोग

- एक कार्रवाई रिपोर्ट के साथ पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी।

15वें वित्त आयोग के संदर्भ में जानकारी

- एन. के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
- पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ.सी.) ने करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी तक पहुंचने के लिए वन क्षेत्र, कर प्रयासों, राज्य का क्षेत्रफल और "जनसांख्यिकीय प्रदर्शन" के साथ 2011 की आबादी पर विचार किया है।

संविधान में

- वित्त आयोग, एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है जो अन्य बातों के अतिरिक्त, केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन का फैसला करता है।

- अनुच्छेद 280 (1) में, "इस संविधान के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर और इसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या इससे पहले किसी भी समय जब राष्ट्रपति आवश्यक समझें" राष्ट्रपति को इसका गठन करना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 280 (3)(ए) के अंतर्गत, आयोग को राष्ट्रपति से अवश्य ही सिफारिश करनी चाहिए कि "केंद्र और राज्यों के बीच उन करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण किया जाए जो इस अध्याय के अंतर्गत उनके बीच विभाजित होते हैं या हो सकते हैं और ऐसी प्राप्तियों के सापेक्षिक भागों का राज्यों के बीच आवंटन किया जाए"।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है, यह कर राजस्व का वह हिस्सा है जिसे केंद्र, राज्यों के साथ साझा करता है।
- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में 1 प्रतिशत की कमी, पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर की हिस्सेदारी के बराबर है, जो कि आयोग द्वारा वर्णित सूत्र के अनुसार 0.85% होगी।
- आयोग ने कहा है कि यह रक्षा व्यय के लिए एक नॉन-लैप्सेबल निधि आरंभ करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह स्थापित करने का इरादा रखता है।
- पंद्रवें वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को बड़ी हिस्सेदारी मिली हैं, जबकि कम प्रजनन दर वाले छोटे देश (अपने जीवन में एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या) गायब हो गए हैं।

जनसांख्यिकीय प्रयास

- राज्यों द्वारा किए गए जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रयास के लिए एक मानदंड विकसित किया है- जो अनिवार्य रूप से 1971 में राज्य की जनसंख्या और 12.5 प्रतिशत भार के साथ वर्ष 2011 में उसकी प्रजनन दर का अनुपात है।
- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से कम है या बिना प्रवास के वर्तमान स्तर पर स्वयं बनाए रखने के लिए जनसंख्या हेतु प्रजनन आयु की एक महिला से जन्मे बच्चों की संख्या से कम है।

आय दूरी मानदंड

- वित्त आयोग द्वारा कर साझाकरण सूत्र तक पहुँचने के लिए राज्यों के कुल क्षेत्रफल, वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल और "आय दूरी" का उपयोग भी किया गया था।
- आय दूरी की गणना, राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादों (जी.एस.डी.पी.) और उच्चतम प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. वाले राज्य के बीच अंतर के रूप में की जाती है।
- कम आय वाले राज्यों को अमीर राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समतुल्य सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाने की अनुमति देने हेतु अधिक हिस्सा मिल रहा है।
- आयोग ने आय दूरी की गणना के लिए संदर्भ के रूप में हरियाणा की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. का उपयोग किया है और 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 50% के भार से कम करके 45% का भार प्रदान किया है।
- राज्य क्षेत्रफल को दिया गया भार 15% पर अपरिवर्तित है और वन क्षेत्र को दिए गए भार को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

स्कूलों में ड्रॉपआउट दर

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लोकसभा में स्कूलों में ड्रापआउट दर के राज्यवार आंकड़े जारी किए हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- स्कूलों में ड्रॉपआउट दर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर असम में सबसे अधिक है।

- 2017-18 में असम में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 10.1% थी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (8.1), मिजोरम (8), उत्तर प्रदेश (8) और तमिलनाडु (5.9) थे।
- माध्यमिक स्तर पर, असम की ड्रॉपआउट दर 33.7% थी, उसके बाद बिहार (32), ओडिशा (28.3), त्रिपुरा (27.2) और कर्नाटक (24.3) थे।

लिंगों के बीच अंतर

- असम में प्राथमिक स्कूलों में लड़कों की ड्रॉपआउट दर 11.2% थी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (10), मिजोरम (8.6), उत्तर प्रदेश (7.2) और ओडिशा (6) थे।
- प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सबसे ज्यादा पांच ड्रॉपआउट दरें असम (8.9), मिजोरम (7.4), उत्तर प्रदेश (7.1), अरुणाचल प्रदेश (6.1) और तमिलनाडु (6) में थी।
- माध्यमिक स्तर पर, असम में लड़कों की ड्रॉपआउट दर 32.1% थी, इसके बाद बिहार (30.3), ओडिशा (28.7), त्रिपुरा (27.1) और कर्नाटक (26.4) थे।
- माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों में सबसे अधिक पांच ड्रॉपआउट दरें असम (35.2%), बिहार (33.7), ओडिशा (27.8), त्रिपुरा (27.3) और मध्य प्रदेश (24.2) में थी।

ड्रॉपआउट का कारण

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों के स्कूल बीच में छोड़ने के कारणों में निम्न शामिल हैं:
- गरीबी या आर्थिक कारण
- खराब स्वास्थ्य
- एक बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत छोटा है
- घरेलू काम में मदद के लिए बच्चे की आवश्यक्ता है

नोट: राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एन.एम.एम.एस.एस.) ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद की है।

राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना के बारे में राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया है।

राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2008 से लागू किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य आठवीं कक्षा तक बच्चों की ड्रॉपआउट दर को राकना और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत, प्रति छात्र 12000/- प्रति वर्ष की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रदान की जाती है और राज्य सरकार, सरकार से सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों में अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/ नवीनीकरण को जारी रखा जाता है।
- प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए छात्रवृत्ति का एक पृथक कोटा है।
- योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

नोट: यह योजना 2015-16 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.एस.पी.) पर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

जनसेवक योजना

- कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान और स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नगर निगम वार्डों में जनसेवक योजना शुरू की है।

जनसेवक योजना के संदर्भ में जानकारी

- सकला योजना के अंतर्गत जनसेवक, अपने घर पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एक कार्यक्रम है।
- इस योजना का उद्देश्य कर्नाटक के नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।
- सकला का उद्देश्य सरकार में क्षमता निर्माण के माध्यम से नवाचार और कुशल प्रबंधन प्रणाली का अभ्यास करके नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और नागरिकों को सहायता के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है।

सर्वोच्च न्यायालय: राज्य, पदोन्नति में आरक्षण करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

- एक प्रमुख फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है।
- न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-ए) ने पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार व्यक्तियों को नहीं दिया है।
- यह अनुच्छेद राज्य को केवल उस स्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण देने का अधिकार देते हैं, "यदि राज्य की राय में वे राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं"।

नागराज केस में 2006 का फैसला

- 2006 के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों (एस.सी./ एस.टी.) को पदोन्नति के मामले में आरक्षण देना अनिवार्य नहीं है।
- हालांकि, यदि राज्य अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है तो उसे वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा को इकट्ठा करना होगा।
- पदोन्नति में आरक्षण करने के लिए, राज्यों को अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने की अनिवार्यता का पालन भी करना होगा।
- यह आगे कहा गया था कि राज्य को 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का पालन करना अनवार्य है और क्रीमी लेयर को समाप्त करने या आरक्षण को अनिश्चित काल तक विस्तारित करने से बचना चाहिए।

लखनऊ घोषणापत्र

- भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों ने पहले भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन के दौरान 'लखनऊ घोषणापत्र' को अपनाया है।
- द्विवार्षिकी रक्षा प्रदर्शनी, डेफएक्सपो इंडिया 2020 के 11वें संस्करण की तर्ज पर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

प्रमुख विशेषताएं

- नेताओं ने **अफ्रीकी संघ के लिए वर्ष 2020 की थीम के रूप में "साइलेंस द गन्स: अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना"** सहित भारत और अफ्रीकी देशों के लिए शांति और सुरक्षा के महत्व को मान्यता प्रदान की है।
- उन्होंने अफ्रीका में शांति और सुरक्षा के लिए ए.यू. विज़न का स्वागत किया है जो भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।
- भारत ने अपनी मजबूत भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी के माध्यम से अफ्रीकी देशों को रक्षा उपकरण और आपूर्ति उपलब्ध कराई है, जिसमें अनुदान सहायता और ऋण व्यवस्था शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों ने निम्न के दौरान पहले भी घोषणाओं को अपनाया था:

a. अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन
b. मई, 2011 में अद्दिस अबाबा में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन-II
c. अक्टूबर, 2015 में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन
d. भारत-अफ्रीका सामरिक सहयोग ढांचा

इन सभी घोषणाओं ने भारत और अफ्रीका के बीच बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम किया था।

आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयाँ

- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी नागरिक निकायों को अपातकालीन प्रतिक्रिया स्वाच्छता इकाईयां (ई.आर.एस.यू.) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ई.आर.एस.यू.) के संदर्भ में जानकारी

- संबंधित नागरिक निकाय के नगर आयुक्त, जवाबदेह स्वच्छता अधिकारी होंगे।
- ई.आर.एस.यू. का नेतृत्व एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
- यह मैनहोल और सीवर साफ करने वाले स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में मदद करता है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें हानिकारक गैसों से दम घुटने या सांस लेने से श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है।

पी.ई.एम.एस.आर. अधिनियम 2013 के संदर्भ में जानकारी

- मैनुअल मेहतरों के रूप में रोजगार का प्रतिबंध और उनका पुन: स्थापन (पी.ई.एम.एस.आर.) अधिनियम, 2013 में लागू हुआ था।
- यह कानून मैनुअल मेहतरों, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई करने और अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाता है।
- कानून का उल्लंघन करने वाले और सुरक्षात्मक उपकरण के बिना सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते पकड़े जाने पर दो वर्ष तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- दोबारा उल्लंघन करने वाले दोषियों को पांच वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारत में खानों की स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।

- एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हरित, सुरक्षित और स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय (एम.ओ.सी.) ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

यह कैसे काम करता है?

- इस वेब पोर्टल पर एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र के माध्यम से प्राप्त स्टार रेटिंग के आधार पर देश में अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाली खानों को एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सभी खानों को कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा उनकी स्टार रेटिंग और विशेष रिपोर्टिंग वर्ष का उल्लेख करके एक आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- वे खदानें जिनसे स्कोर है:
    - 91 से 100% उन्हें 5 स्टार मिलेगा
    - 81 से 90% उन्हें 4 स्टार
    - 71 से 80% उन्हें 3 स्टार
    - 61 से 70% उन्हें 2 स्टार
    - 41 से 60% उन्हें स्टार
    - 0 से 40% उन्हें कोई स्टार नहीं मिलेगा

नोट:

स्टार रेटिंग नीति

- कोयला मंत्रालय ने पिछले वर्ष भारत में कोयला खानों के लिए एक स्टार रेटिंग नीति तैयार की थी।
- यह नीति सात व्यापक माड्यूलों के अंतर्गत स्टार रेटिंग मानदंडों के रूप में खुली खदान खानों में 50 मूल्यांकन मानकों और भूमिगत खानों में 47 मूल्यांकन मानकों की परिकल्पना करती है।
    - खनन संचालन संबंधित मानदंड
    - पर्यावरण से संबंधित मानदंड
    - प्रौद्योगिकी को अपनाना: सर्वश्रेष्ठ खनन अभ्यास
    - आर्थिक प्रदर्शन
    - पुनर्वास और पुनर्वास संबंधी मानदंड
    - कार्यकर्ता से संबंधित अनुपालन
    - सावधानी और सुरक्षा से संबंधित मानदंड

विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएँ

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में लिखित जवाब दिया है।
- भारत सरकार उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा करने वाले भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/ अनुदान हेतु योजनाएं लागू कर रही है, जो इस प्रकार हैं: -

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति:

- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत, संबंधित देश द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों और पी.एच.डी. का अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति

- यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों में परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों, पी.एच.डी. और पोस्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की अधिकतम आय सीमा 6 लाख प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।

विदेशी डॉक्टरेट फैलोशिप कार्यक्रम

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) ने विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ एक प्रवासी डॉक्टरेट फैलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है।

अनुसंधान इंटर्नशिप के लिए छात्रों को विदेश भेजना

- इसने वर्ष 2018 में अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद और मैथमेटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम्स (MITACS) के साथ मिलकर काम किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एस.सी./ एस.टी. संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एस.सी./ एस.टी. संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो एस.सी./ एस.टी. के खिलाफ अत्याचार के मामले में अग्रिम जमानत को नियमबद्ध करता है।
- कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा है कि अग्रिम जमानत केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है, जहां प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है न ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी आवश्यक है।

पृष्ठभूमि:

- एस.सी./ एस.टी. संशोधन अधिनियम 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था, जिसने सख्त अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया था।
- इससे पहले 20 मार्च, 2018 को सख्त एस.सी./ एस.टी. अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग का ध्यान रखते हुए शीर्ष अदालत ने कानून के अंतर्गत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी को खारिज कर दिया था।
- शीर्ष अदालत के फैसले के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

- केंद्र ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (NIFM), फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- इसे 1993 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए विभिन्न वित्त और लेखा सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का आदेश देता है, इसके साथ ही भारतीय लागत लेखा सेवा के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी के अध्यक्ष हैं।

राजनीति में अपराधी

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास के साथ ही उस कारण को प्रकाशित करने का आदेश दिया है, जो उन्हें सभ्य लोगों पर संदिग्ध अपराधियों के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं।

आदेश के मुख्य बिंदु

- सूचना को स्थानीय के साथ-साथ एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए, इन दोनो में जो भी पहले हो।
- इसने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत के चुनाव आयोग के साथ 72 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें या अदालती कार्रवाई की अवमानना करें।
- यह निर्णय केंद्र और राज्य दोनों स्तर की पार्टियों पर लागू होता है।
- एक उम्मीदवार के आपराधिक पिछले जीवन पर प्रकाशित जानकारी विस्तृत होनी चाहिए और इसमें अपराधों की प्रकृति, उन पर लगाए गए आरोप, संबंधित न्यायालय और केस संख्या शामिल होगी।

सरकार ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है।

- केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के अंतर्गत एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है।

स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह पहल संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
- यह भावनात्मक भलाई, मानसिक स्वास्थ्य और पारस्परिक संबंधों से लेकर मूल्यों और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने तक के कौशल सिखाने में मदद करेगा।

- कार्यान्वयन का पहला चरण आकांक्षात्मक जिलों के सभी सार्वजनिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में होगा।
- इसके बाद, शेष जिलों को दूसरे वर्ष में शामिल किया जाएगा।
- यह पहल अन्य सरकारी पहलों जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट अभियान, स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य के सर्वांगीण और समग्र विकास मॉडल के लिए पोशन अभियान आदि के साथ प्रभावी रूप से जुड़ी होगी।

पहल की विशेषताएं

- इस पहल के अंतर्गत, दो शिक्षकों को निवारक स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत के रूप में चुना जाएगा।
- इन राजदूतों को कक्षाप्रमुखों से समर्थन मिलेगा, जो स्वास्थ्य एवं कल्याण संदेशवाहकों के रूप में कार्य करेंगे।
- स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत, आनंदपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष में 24 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह एक घंटे के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गतिविधि सत्र आयोजित करके निवारक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएंगे।
- इन राजदूतों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय संसाधन समूह द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

आयुष्मान भारत के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था।
- आयुष्मान भारत का उद्देश्य देश के गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, जिसमें रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों शामिल हैं।

स्रोत- लाइवमिंट

लोकसभा ने कर्नाटक में एस.टी. वर्ग में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है।

- लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया है।

विधेयक के संदर्भ में जानकारी

- यह विधेयक परिवारा और तलवारा समुदायों को एस.टी. वर्ग में शामिल करना चाहता है।
- उत्तर कन्नड़ जिलों में रहने वाले लोगों के अतिरिक्त बेलगावी और धारवाड़ की सिद्दी जनजातियों को श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

सिद्दी जनजाति के संदर्भ में जानकारी

- ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक की ये जनजाति दक्षिण पूर्व अफ्रीका के बंटू लोगों के पूर्वजों से उत्पन्न है, जिन्हें पुर्तगाली व्यापारी दास के रूप में मानते थे।
- वे मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के पश्चिमी तट के राज्यों में पाए जाते हैं।
- वे मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, हालांकि कुछ हिंदू भी हैं और अन्य कैथोलिक चर्च से संबंधित हैं और इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सूची में शामिल किया गया है।

परिवारा और तलीवारा जनजातियों के संदर्भ में जानकारी:

- कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवारा और तलीवारा, नयाका जनजाति का हिस्सा होंगे।
- वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं।

वित्त आयोग ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है।

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है।
- समूह की संरचना हैं:
- के. सिंह, समूह के अध्यक्ष हैं, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं।

अन्य सदस्य

- श्री ए. एन. झा भी पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य हैं।
- सचिव, गृह मंत्रालय
- सचिव, रक्षा मंत्रालय
- सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय
- रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर समूह का जनादेश यह जांचने के लिए होगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र है।

संबंधित जानकारी

- वित्त आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- आयोग को प्रत्येक पांच वर्ष में नियुक्त किया जाता है।

संविधान की नौवीं अनुसूची

- हाल ही में, एक मंत्री ने कहा कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

संविधान की नौवीं अनुसूची के संदर्भ में जानकारी

- नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में, 284 कानून न्यायिक समीक्षा से परिरक्षित हैं।
- यह अनुसूची, 1951 में संविधान का एक भाग बन गई थी, जब पहली बार दस्तावेज़ में संशोधन किया गया था।
- यह नए अनुच्छेद 31B द्वारा बनाई गई था, जिसके साथ 31A को सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था।
- जबकि अनुच्छेद 31 ए सुरक्षा को कानूनों के वर्गों तक विस्तारित करता है, जबकि अनुच्छेद 31 बी विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों का संरक्षण करता है।

अनुच्छेद 31बी के संदर्भ में जानकारी

- इस अनुच्छेद में पूर्वव्यापी संचालन का मतलब है कि यदि कानून असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद नौवीं अनुसूची में डाले जाते हैं तो उन्हें शुरू होने के बाद से अनुसूची में माना जाता है और इस तरह वैध होते हैं।
- हालांकि अनुच्छेद 31बी न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने अतीत में कहा है कि नौवीं अनुसूची के अंतर्गत कानून भी जांच के अधीन हैं यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।

सूत्र पिक

- सरकार ने स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए सूत्र पिक (**साइंटिफिक यूटिलाइज़ेशन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन-प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देसी गाय)** नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया है।

सूत्र पिक कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह कई वैज्ञानिक मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषित है, सूत्र पिक पहल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के नेतृत्व में है।
- इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद साझेदार के रूप में शामिल हैं।
- यह पांच थीमों पर आधारित है:
    - देशी गायों की विशिष्टता
    - चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी गायों से प्राप्त प्राइम उत्पाद

- कृषि अनुप्रयोगों के लिए देशी गायों से प्राप्त प्राइम उत्पाद
- खाद्य और पोषण के लिए देशी गायों से प्राप्त प्राइम उत्पाद
- देशी-गायों पर आधारित उपयोगिता की वस्तुओं से प्राप्त प्राइम उत्पाद

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में जानकारी

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से देशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना को लागू कर रहा है।
- इस योजना में दो घटक शामिल हैं, जिनके नाम राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता कार्यक्रम हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, महिला सैन्य अधिकारी, स्थायी आयोग के लिए पात्र हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में "सेक्स स्टीरियोटाइप" के रूप में कमजोर होती हैं और यह घोषणा की कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एस.एस.सी.) महिला अधिकारी, सेवा में कार्यरत वर्षों के निरपेक्ष सेना में स्थायी आयोग और कमान के पदों के लिए पात्र हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को तीन महीने में अपना फैसला लागू करने का आदेश दिया है।

अतिरिक्त जानकारी:

- सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत सरकारी नोट में महिला अधिकारियों को खराब रोशनी में दर्शाया गया था, यह कहते हुए कि अलगाव और कठिनाई उनके संकल्प को कमजोर करेगी और उन्हें गर्भावस्था, प्रसव और परिवार के आह्वान पर ध्यान देना होगा। नोट में उल्लेख किया गया था कि महिलाओं पर दुश्मन द्वारा कब्जा करने और युद्ध बंदी बना लिए जाने का जोखिम भी है।
- अदालत ने नोट में टिप्पणी को न केवल संवैधानिक रूप से अमान्य, बल्कि भेदभावपूर्ण पाया है, जिससे महिला अधिकारियों की गरिमा प्रभावित हुई है।
- एस.एस.सी. महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 मार्च, 2010 के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर लगभग 10-वर्षीय अपील पर फैसला आया है।
- अदालत ने सरकार के इस रूख को खारिज कर दिया है कि केवल 14 वर्ष से कम समय तक सेवा में कार्यरत रहने वाली महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के लिए विचार किया जाना चाहिए और 20 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में कार्यरत महिला अधिकारियों को तुरंत पेंशन दी जानी चाहिए। फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करते हुए, अदालत ने घोषणा की है कि सभी सेवारत महिला अधिकारी स्थायी आयोग के लिए पात्र होंगी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएस.डी.ए.) 2019

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एन.ई.एस.डी.ए.) 2019 रिपोर्ट जारी की गई थी।

सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- इस सूचकांक को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज कंपनीज संघ (नैसकॉम) के साथ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्दिष्ट ज्ञान भागीदार के रूप में तैयार किया गया है।
- इसका उद्देश्य एक नागरिक दृष्टिकोण से सेवा वितरण तंत्र की दक्षता का मूल्यांकन करके समग्र ई-सरकार विकास में सुधार करना है।

यह सूचकांक सात प्रमुख मापदंडों पर आधारित है:

- पहुँच
- सामग्री की उपलब्धता
- उपयोग में आसानी

- सूचना सुरक्षा और गोपनीयता
- अंत-सेवा वितरण
- एकीकृत सेवा वितरण
- स्टेट्स और प्रार्थना ट्रैकिंग

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- पोर्टल श्रेणी में, राज्य ने मूल्यांकन किए गए सभी 17 राज्यों के बीच 1 के पैमाने पर मात्र 0.48 स्कोर किया है, राज्य 13वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह आंध्र प्रदेश के 51,000 से अधिक ई-सेवाएं देने के बावजूद है, जो देश में सबसे अधिक है।
- केरल, सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है इसके बाद गोवा और हरियाणा हैं।
- बिहार पर रैंकिंग के लिए कोई विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह मूल्यांकन के लिए पर्याप्त डेटा देने में विफल रहा है।
- ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सूची में सबसे नीचे हैं।

मंत्रालयों की रैंकिंग

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया था जब कि दूसरा स्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रदान किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय आई.पी. सूचकांक 2020 का आठवां संस्करण

- अंतर्राष्ट्रीय आई.पी. सूचकांक को अमेरिकी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (जी.आई.पी.सी.) द्वारा जारी किया गया है, जो एक शीर्ष अमेरिकी उद्योग निकाय है।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पर 53 देशों में से भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है।
- वर्ष 2019 में 50 देशों के बीच भारत को 36वें स्थान पर रखा गया था।
- दो नई सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं (ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य) ने भारत के आगे स्कोर किया है।
- फिलीपींस और यूक्रेन छलांग लगाकर भारत से आगे निकल गए हैं।
- हालांकि भारत का स्कोर वर्ष 2019 में 36.04 प्रतिशत (45 में से 16.22) से बढ़कर वर्ष 2020 में 38.46 प्रतिशत (50 में से 19.23) हो गया है, पूर्ण स्कोर में 2.42 प्रतिशत की छलांग लगाई है।
- हालांकि, भारत के सापेक्ष स्कोर में 6.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मंत्रिमंडल ने पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. फसल बीमा योजनाओं के पुन: निर्धारण को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री फसल योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)" और "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के पुन: निर्धारण को मंजूरी दे दी है।
- इसके अंतर्गत पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. की चल रही योजनाओं के कुछ निश्चित मानकों/ प्रावधानों के संशोधन को प्रस्तावित किया गया है:
- बीमा कंपनियों के व्यवसाय का आवंटन तीन वर्षों (दोनों पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के लिए किया जाना चाहिए।
- किसी भी जिले के फसल संयोजन (दोनों पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के लिए बीमित राशि के रूप में राष्ट्रीय औसत उपज (एन.ए.वाई) के जिला स्तर मूल्य अर्थात एन.ए.वाई. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) अथवा वित्तपोषण का स्तर चुनने हेतु राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को विकल्प प्रदान किया जाएगा।

- पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अंतर्गत केंद्रीय सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों/ फसलों के लिए 30% तक और सिंचित क्षेत्रों/ फसलों के लिए 25% की प्रीमियम दरों तक सीमित किया जाएगा।
- 50% या उससे अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिले को सिंचित क्षेत्र/ जिला (दोनों पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) माना जाएगा।
- योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को सभी किसानों (दोनों पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के लिए स्वैच्छिक किया गया है।
- उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में केंद्रीय हिस्सेदारी को 50:50 (दोनों पी.एम.एफ.बी.वाई./ आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के मौजूदा साझाकरण प्रारूप से बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है।

लाभ

- इन परिवर्तनों के साथ यह उम्मीद की जाती है कि किसान बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन में जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और कृषि आय को स्थिर करने में सफल होंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज बढ़ाएगा जिससे एन.ई.आर. के किसान अपने कृषि जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकने में सक्षम होंगे।
- इन परिवर्तनों से त्वरित और सटीक उपज अनुमान भी तेजी से दावों का निपटान करने में सक्षम हो जाएगा।

नोट:

- इन परिवर्तनों को खरीफ के 2020 सीज़न से पूरे देश में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत का 22वाँ विधि आयोग

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग को तीन वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की है।

लाभ

- सरकार को कानून के विभिन्न पहलुओं पर एक विशिष्ट निकाय की सिफारिशों का लाभ होगा जो आयोग को उसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए संदर्भ के पदों अनुसार सौंपे जाते हैं।
- विधि आयोग, केंद्र सरकार या स्व: प्रेरणा द्वारा किए गए एक संदर्भ पर कानून में शोध करेगा और उसमें सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा।
- यह प्रक्रियाओं में देरी को कम करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के उन्मूलन हेतु न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।

भारत का विधि आयोग

- ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब कोई आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और उन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है
- यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रकाश में मौजूदा कानूनों की जांच करता है और विकास और सुधार के तरीके सुझाता है।
- यह ऐसे सिद्धांतों का भी सुझाव देता है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।
- यह कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर सरकार के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत और प्रेषित करता है, जिसे सरकार द्वारा कानून एवं न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है।
- किसी भी विदेशी देशों को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करता है क्योंकि इसे सरकार द्वारा कानून एवं न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है।
- यह ऐसे सभी उपाय करता है, जो गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया के उपयोग हेतु आवश्यक हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक असंवैधानिक निकाय है।
- इसे 1955 में मूल रूप से गठित किया गया था, आयोग को प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्गठित किया जा सकता है और अब तक, 277 रिपोर्टें सरकार को सौंपी जा चुकी हैं।
- विभिन्न कानून आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हैं।
- 22वें विधि आयोग का गठन आधिकारिक राजपत्र में अपने आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

इसमें निम्न शामिल होंगे:

- पूर्णकालिक अध्यक्ष
- चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
- सचिव, पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग
- सचिव, पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग
- अधिकतम पांच अंशकालिक सदस्य

नोट:

- 21वें विधि आयोग का गठन न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में किया गया है।
- इन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट और कार्य-पत्र प्रस्तुत किए थे।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2020

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भावस्था को प्राप्त करने के लिए लोगों की सहायता के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2020 को मंजूरी प्रदान की है।

विधेयक में प्रमुख प्रावधान:

- विधेयक, एक राष्ट्रीय बोर्ड का प्रावधान करता है जो उन ऑपरेटिंग क्लीनिकों द्वारा अवलोकन हेतु एक आचार संहिता का पालन करेगा।
- यह प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरणों और प्रथाओं के लिए न्यूनतम मानकों को भी तैयार करेगा, जिसका पालन क्लीनिक और बैंकों द्वारा नियोजित मानव संसाधनों द्वारा किया जाना है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रस्तावित कानून की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर राज्य बोर्ड और राज्य प्राधिकरण भी बनाने होंगे।
- प्रस्तावित कानून के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण अपने कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता हेतु एक डेटाबेस बनाए रखेगा।

सज़ा

- विधेयक उन लोगों के लिए भी कठोर दंड का प्रस्ताव करता है जो सेक्स चयन का अभ्यास करते हैं, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री और रैकेट संचालित करने वालों में लिप्त हैं।

गोपनीय खंड

- विधेयक, इच्छुक जोड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करेगा।

संबंधित विधेयक

सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020

- यह केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य बोर्डों और उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करके भारत में सरोगेसी को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।

- विधेयक की जांच, चयन समिति द्वारा की गई है और 5 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की गई है।

अधिनियम का लाभ

- अधिनियम का मुख्य लाभ यह होगा कि यह देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करेगा।
- जबकि वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी जिसमें शामिल हैं:
  - मानव भ्रूण और युग्मकों की बिक्री और खरीद
  - भारतीय विवाहित जोड़े की नैतिक सरोगेसी
  - भारतीय मूल विवाहित युगल और भारतीय एकल महिला (केवल विधवा या तलाकशुदा) को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर अनुमति प्रदान जाएगी।
- इस प्रकार, यह सरोगेसी में अनैतिक प्रथाओं को नियंत्रित करेगा, सरोगेसी के व्यावसायीकरण को रोकेगा और सरोगेट मां और सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चों के संभावित शोषण पर रोक लगाएगा।

किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि में गठित होने वाली 10,000 एफ.पी.ओ. के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- यह किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक एफ.पी.ओ. का समर्थन इसकी स्थापना से शुरू करके 5 वर्ष तक जारी रखा जाएगा।

योजना के संदर्भ में जानकारी

- किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के लिए 4496 करोड़ रूपए के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नई एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन में मदद करती है।
- एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन हेतु तीन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं अर्थात्
  - छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.)
  - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)
  - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- यदि राज्य चाहें तो कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी. और एफ.डब्ल्यू.) के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को भी नामित कर सकते हैं।

कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी. और एफ.डब्ल्यू.)

- डी.ए.सी. और एफ.डब्ल्यू. समूह/ राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियां को आवंटित करेगा, जो बदले में राज्यों में समूह-आधारित व्यवसाय संगठन बनाएंगे।
- एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन, कार्यान्वन एजेंसियों द्वारा राज्य/ समूह स्तर पर संलग्न समूह आधारित व्यापार संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रारंभ में, एफ.पी.ओ. में सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्र में 300 और उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- हालांकि, डी.ए.सी. और एफ.डब्ल्यू. केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी के साथ अनुभव/ आवश्यकता के आधार पर सदस्यता की न्यूनतम संख्या को संशोधित कर सकते हैं।
- एफ.पी.ओ. के गठन के लिए देश में आकांक्षात्मक जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, आकांक्षी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफ.पी.ओ. की स्थापना की जाएगी।
- विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और एफ.पी.ओ. द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एफ.पी.ओ. को "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" समूह के अंतर्गत संवर्धित किया जाएगा।

लाभ

- छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्धन सहित उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं और विपणन को लागू करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है।
- एफ.पी.ओ. के गठन के माध्यम से, किसानों के पास बेहतर आय की प्राप्ति के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच हेतु बेहतर सामूहिक क्षमता होगी।

नोट:

- 'किसानों की आय दोगुना करना' (डी.एफ.आई.) की रिपोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया है और 2022 तक 7,000 एफ.पी.ओ. के गठन की सिफारिश की है जिससे कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों का अभिसरण किया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एस.बी.एम. (जी)] के द्वितीय चरण को मंजूरी प्रदान की है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के संदर्भ में जानकारी

- एस.बी.एम. (जी) चरण-II को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा।
- यह खुले में शौच मुक्त प्लस (ओ.डी.एफ. प्लस) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ओ.डी.एफ. स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) शामिल है।
- यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा कि कोई भी पीछे न छूटे और प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का उपयोग करे।
- कार्यक्रम के अंतर्गत, मौजूदा मानदंडों के अनुसार नए उभरते पात्र परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए 12, 000/- की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान जारी रहेगा।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) के लिए वित्तपोषण के मानदंडों को तर्कसंगत बनाया गया है और परिवारों की संख्या के स्थान पर प्रति व्यक्ति आधार पर बदल दिया गया है।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम लागू किया जाएगा जो शीघ्र ही राज्यों को जारी किए जाएंगे।

वित्त साझेदारी

इनके बीच वित्त साझेदारी प्रारूप

- केंद्र और राज्य पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात में साझा करेंगे।
- अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में साझा करेंगे।
- अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए, सभी घटकों के लिए 100:0 के अनुपात में साझा करेंगे।
- ओ.डी.एफ. प्लस के एस.एल.डब्ल्यू.एम. घटक की निगरानी चार प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-परिणाम संकेतकों के आधार पर की जाएगी:
    - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
    - जैव अपघट्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित)
    - ग्रेवाटर प्रबंधन
    - मल संबंधी कीचड़ प्रबंधन

ई-मसीहा ऐप

- हाल ही में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत, दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पूरी हज 2020 प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया है।

ई-मसीहा ऐप के संदर्भ में जानकारी

- इसका पूरा नाम विदेशों में भारतीय तीर्थयात्रियों हेतु ई-चिकित्सा सहायता प्रणाली है, जिसे मक्का-मदीना में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विकसित किया गया है।
- यह भारतीय तीर्थयात्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें डॉक्टरों के परामर्श,चिकित्सा उपचार के साथ-साथ दवा वितरण भी शामिल हैं।
- ई-वीजा, हज मोबाइल ऐप, ई-लगेज प्री-टैगिंग जैसे अन्य ऑनलाइन एप्लीकेशन हज के लिए जाने वाले भारतीय मुसलमानों को स्वयं भारत में मक्का/ मदीना में आवास/ परिवहन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

उत्तर पूर्व सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का असम में आयोजन किया गया है।

- नीति आयोग, गुवाहाटी में "सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) सम्मेलन 2020: उत्तर पूर्वी राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास" का आयोजन कर रहा है।
- यह सम्मेलन संयुक्त रूप से उत्तर पूर्वी परिषद, असम सरकार, टाटा ट्रस्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर.आई.एस.) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एस.डी.जी. पर प्रगति का जायजा लेना और उन मुद्दों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा और विचार-विमर्श करना है।

उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में जानकारी

- उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
- इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
- संसद के एक अधिनियम द्वारा 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया था।

15वें वित्त आयोग ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

- 15वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) ने कृषि निर्यात पर एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जिसके प्रमुख आई.टी.सी. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक **संजीव पुरी** होंगे।
- समिति, आयोग के समक्ष विचार हेतु तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

समिति के कार्य

- समिति, राज्यों को कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन को सक्षम करने के लिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए औसत दर्जे के प्रदर्शन के प्रोत्साहन की सिफारिश करेगी।
- समिति, एफ.एफ.सी. रणनीतियों और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों और उच्च मूल्य संवर्धन को सक्षम करने, कचरे में कमी सुनिश्चित करने, भारतीय कृषि से संबंधित रसद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि की सलाह देगी जिससे कि क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार किया जा सके।
- समिति, कृषि मूल्य श्रृंखला के साथ निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बाधाओं की पहचान करेगी और नीतिगत उपायों और सुधारों का सुझाव देगी, जो आवश्यक निवेशों को आकर्षित करने में मदद करेंगे।
- समिति को कृषि क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के साथ-साथ इस संबंध में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों को उचित प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का सुझाव देना भी अनिवार्य है।

थिरूमाथिकार्ट- एस.एच.जी. (स्वयं सहायता समूह) उत्पादों हेतु एक मोबाइल ऐप

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), त्रिची, तमिलनाडु और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने थिरूमाथिकार्ट- एस.एच.जी. (स्वयं सहायता समूहों) उत्पादों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।

थिरूमाथिकार्ट एप्लिकेशन के संदर्भ में जानकारी

- इस ऐप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और सहज तरीके से बाजार के अवसरों तक पहुंचने में उनकी मदद करना है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को व्यापक दर्शकों को दिखाने के लिए भी सक्षम करेगा।

स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के संदर्भ में जानकारी

- स्वयं सहायता समूह किसी भी सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य के लिए एक इलाके में गठित 10-20 लोगों का समूह है। अधिकांश एस.एच.जी. अपने सदस्यों के बीच बेहतर वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं।
- एस.एच.जी. पंजीकरण के साथ या बिना पंजीकरण के अस्तित्व में रह सकता है।
- भारत में एस.एच.जी. प्राय: बैंकों (एस.एच.जी.- बैंक लिंकेज प्रोग्राम) के साथ मिलकर काम करते हैं।
- एस.एच.जी.- बैंक लिंकेज, भारत में नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 1992 में शुरू किया गया था।

अटल किसान- मजदूर कैंटीन

- हरियाणा सरकार, पूरे राज्य की सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान-मजदूर कैंटीन खोलेगी।
- राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में शुरू हुए राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इसकी घोषणा की है।
- इस कदम का उद्देश्य किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति प्लेट की रियायती दर पर सस्ता और किफायती भोजन उपलब्ध कराना है।
- राज्य में वर्ष 2020 में पच्चीस अटल किसान-मजदूर कैंटीन स्थापित की जाएंगी।

नोट:

- हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 11 लाख बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित महिलाओं और लड़कियों को वर्ष 2020-2021 के दौरान सैनिटरी नैपकिन निशुल्क प्रदान जाएंगे। यहां पर इस वर्ष 25 ऐसी कैंटीन स्थापित की जाएंगी।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना

- हाल ही में, केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश "100% एल.पी.जी. गैस कवरेज" करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य ने ऐसा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना नामक राज्य की स्वयं की योजना दोनो के कार्यान्वयन के माध्यम से किया है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसके योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी, आयकरदाता या सरकार, बोर्ड, निगम आदि के साथ कार्यरत किसी भी सदस्य को छोड़कर, बिना एल.पी.जी. कनेक्शन वाले राज्य के सभी परिवार पात्र हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में जानकारी

- बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं:

- इसने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पांच करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान किए है।
- इस योजना के अंतर्गत, तेल विपणन कंपनियां स्टोव की रीफिलिंग और खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती हैं।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन सभी बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करती है जो सभी प्रकार के वितरण के अंतर्गत आते हैं और क्षेत्र की स्थिति के अनुसार विभिन्न आकार के सिलेंडर (2 किग्रा, 5 किग्रा आदि) वितरित करती हैं।
- इस योजना का लाभ पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी पहाड़ी राज्यों के लोगों के लिए भी उपलब्ध है।

दिल्ली का खुशहाली पाठ्यक्रम

- अमेरिकी प्रथम महिला के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का दौरा करेंगे, जहां वे एक खुशहाली पाठ्यक्रम कक्षा में भाग लेंगे।

दिल्ली के खुशहाली पाठ्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह पाठ्यक्रम जुलाई, 2018 में शिक्षा क्षेत्र में सभी सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

खुशी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- आत्म-जागरूकता और सचेतना विकसित करना
- महत्वपूर्ण सोच और पूछताछ के कौशल को विकसित करना
- शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाना
- शिक्षार्थियों की अपने आसपास तनावपूर्ण और परस्पर विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए जीवन कौशल को लागू करने में मदद करना
- यह पाठ्यक्रम नर्सरी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए बनाया गया है।

नोट:

- वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट 2018 में वैश्विक रैंकिंग में 155 देशों में भारत 133वें स्थान पर है।

जलयुक्त शिवर अभियान

- जल संसाधन मंत्री ने फ्लैगशिप जल संरक्षण परियोजना, जलयुक्त शिवर के अंतर्गत किए गए 'अवमानक' कार्य का हवाला दिया है।

जलयुक्त शिवर के संदर्भ में जानकारी

- महाराष्ट्र में लगातार सूखे के बाद इसे दिसंबर, 2014 में लॉन्च किया गया था।
- यह परियोजना उन उपायों को लागू करने के उद्देश्य से है जो सबसे सूखा प्रभावित गांवों में प्रणालीगत रूप से पानी की कमी को दूर कर सकते हैं।
- या तो प्राकृतिक रूप से या कम वर्षा के कारण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 52 प्रतिशत भाग सूखे के खतरे मे है।
- इस योजना के अंतर्गत, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए गांवों के भीतर विभिन्न स्थानों पर विकेंद्रीकृत जल निकाय स्थापित किए जा रहे हैं।
- यह जल भंडारण क्षमता और टंकियों और भंडारण के अन्य स्रोतों के रसने को मजबूत करने और फिर से ठीक करने का भी प्रस्ताव करता है।

नोट:

- पहले चरण में 2015 - 2019 के दौरान बनाई गई योजना में, जलयुक्त शिवर ने प्रत्येक वर्ष 5,000 गांवों को सूखा मुक्त बनाने की परिकल्पना की थी।
- अपने प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान, सरकार ने 25,000 सूखाग्रस्त गाँवों को पानी पर्याप्त बनाने पर ध्यान दिया था।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली 7.0

- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. 7.0 संस्करण लॉन्च किया है।

- सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. 7.0 संस्करण ने अंतिम-मील शिकायत अधिकारियों को मानचित्रण, समय की बचत और निपटान की गुणवत्ता में सुधार किया है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सहयोग से एन.आई.आई.सी. द्वारा एन.आई.सी.एन.ई.टी. पर विकसित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
- इसे भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा शीघ्र निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य सरकारी संगठनों के नोडल पी.जी. अधिकारियों और नागरिकों के बीच त्वरित और आसान संचार के लिए कहीं भी और कभी भी (24x7) आधार पर पीड़ित नागरिकों द्वारा शिकायतों को प्रस्तुत कराना है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता है।

पी.एम. किसान मोबाइल एप्लीकेशन

- कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए पी.एम. किसान मोबाइल एप्लिकेशन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में जानकारी

- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
- इस मोबाइल एप्लिकेशन को योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए विकसित किया गया है, जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रत्येक चार महीने में 2000रू/- की तीन समान किस्तों में 6000 रू/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

नोट:

- पहले से ही, योजना के तहत किसानों के पंजीकरण के लिए पी.एम.-किसान पर एक पोर्टल (pmkisan.gov.in/) है।

विज्ञान एवं प्रायौगिक अनुसंधान संघ एवं समर्थन

- कोल इंडिया की प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) ने "विज्ञान एवं प्रायौगिक अनुसंधान संघ एवं समर्थन" (सारस) नाम से एक केंद्र स्थापित किया है।

सारस के संदर्भ में जानकारी

- यह कंपनी के परिचालन दक्षता में सुधार करने और संसाधनों का अधिकतम स्तर पर उपयोग करने के साथ-साथ नवाचार, अनुसंधान और विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- सारस खदानों में कोयला उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवाचार और अनुसंधान के एकीकरण में कंपनी की मदद करेगा और कंपनी को सक्षम बनाएगा।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

- यह कोल इंडिया की प्रमुख सहायक कंपनी है।
- यह भारत के कोयले उत्पादन का 15 प्रतिशत और देश की थर्मल बिजली उत्पादन का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जो भारत सरकार की इस मिनीरत्न कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है।

ग्रामीण ढांचा विकास कोष

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेशों को 400.64 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है।

ग्रामीण ढांचा विकास कोष के संदर्भ में जानकारी

- 1995-96 में चल रही ग्रामीण ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा निधि की स्थापना की गई थी।
- कोष का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है।
- कोष का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है जिससे कि वे चल रही ग्रामीण ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बन सके।
- आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत वित्तपोषित गतिविधियों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:
    - कृषि और संबंधित क्षेत्र
    - सामाजिक क्षेत्र
    - ग्रामीण कनेक्टिविटी

नाबार्ड के संदर्भ में जानकारी

- यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित, एक विकास बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- यह 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है।
- यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और किसी अन्य ऐसे गाँव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास हेतु जिम्मेदार है।

उन्नत भारत योजना

- इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आई.ओ.ई.) नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अपने परिसरों में आमंत्रित करेगा और ग्रामीण भारत में सतत विकास के लिए उन्नत भारत योजना के हिस्से के रूप में मॉडल गांवों को विकसित करेगा।

उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में जानकारी

- इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों को जोड़ना है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर.एस.) आदि को स्थानीय समुदायों शामिल हैं।
- उन्नत भारत अभियान के उद्देश्य व्यापक रूप से दो प्रकार के हैं:
- ग्रामीण भारत की आवश्यक्ताओं के लिए प्रासंगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना
- ग्रामीण भारत को उच्च शिक्षण संस्थानों से व्यवसायिक संसाधन सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से उनको जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त की है।

इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के संदर्भ में जानकारी

- 2016 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई है जिसका नोडल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है।
- इसका उद्देश्य 20 विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों का विकास करना है।

उद्देश्य

- अगले 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 में आई.ओ.ई. के रूप में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों को लाने के लिए और समय के साथ अंतत: शीर्ष 100 में शामिल होना
- देश के भीतर भारतीय छात्रों को विश्व स्तर के शिक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना और शिक्षा के सामान्य स्तर को बढ़ाना
- ज्ञान के अनूठे और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के शुभारंभ को मंजूरी प्रदान की है।
- मिशन की वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि होगी।
- मिशन तकनीकि वस्त्रों से संबंधित उच्चतर इंजीनियरिंग और तकनीकी स्तरों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा, जो इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों को कवर करने वाले तकनीकी क्षेत्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित है।
- कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और अपेक्षाकृत परिष्कृत तकनीकी वस्त्र निर्माण इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति संसाधनों का एक पर्याप्त पूल बनाया जाएगा।
- मिशन के चार घटक होंगे:
    - घटक-। (अनुसंधान, नवाचार और विकास)
    - घटक –II (पदोन्नति और बाजार विकास)
    - घटक –III (निर्यात संवर्धन)
    - घटक- IV (शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास)

विपणन खुफिया एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एम.आई.ई.डब्ल्यू.एस.) पोर्टल

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने विपणन खुफिया एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एम.आई.ई.डब्ल्यू.एस.) वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी.) की कीमतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए 'इस प्रकार का पहला' प्लेटफॉर्म है और इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन्स (ओ.जी.) योजना की शर्तों के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए चेतावनी जारी करता है।

एम.आई.ई.डब्ल्यू.एस. पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- एक डैशबोर्ड है, जो अग्रिम तीन महीनों के लिए कम कीमत और अधिक कीमत चेतावनी के साथ-साथ कीमत पूर्वानुमान का संकेत देगा।
- पूरे देश में टी.ओ.पी. फसलों की कीमतों और आवक में परस्पर संवादात्मक चार्ट और पिछले सीजन से तुलना शामिल है।
- टी.ओ.पी. फसलों का क्षेत्र, उपज और उत्पादन
- प्रत्येक टी.ओ.पी. फसल का कृषि विज्ञान और व्यापार प्रोफ़ाइल
- टी.ओ.पी. फसलों की बाजार स्थिति पर नियमित और विशेष रिपोर्ट

ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में जानकारी

- किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए "ऑपरेशन फ्लूड" की तर्ज पर 2018-19 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी।
- ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी.) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और पूरे देश में वर्ष भर बिना मूल्य अस्थिरता के टी.ओ.पी. फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए एन.ए.एफ.ई.डी. नोडल एजेंसी होगी।**

उद्देश्य

- टी.ओ.पी. उत्पादन समूहों और उनके एफ.पी.ओ. को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टी.ओ.पी. किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना है।
- टी.ओ.पी. समूहों में उचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को पेश करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना।
- फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बाद कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी करना, उपयुक्त कृषि-रसद का विकास, उपभोग केंद्रों को जोड़ने के लिए उपयुक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना
- खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि करना और उत्पादन समूहों के साथ फर्म लिंकेज के साथ टी.ओ.पी. मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन करना
- टी.ओ.पी. फसलों की मांग और आपूर्ति और कीमत पर वास्तविक समय के डेटा को इकट्ठा करने और तुलना करने के लिए एक बाजार खुफिया नेटवर्क की स्थापना करना

व्याख्या: भारत में गरीबी को मापने के तरीके

- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दशक में "270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने" के लिए भारत की प्रशंसा की है।
- उन्होंने यह भी कहा कि "12 भारतीय नागरिकों को प्रत्येक दिन के प्रत्येक मिनट में अत्यधिक गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाला जाता है"।

गरीबी क्या है?

- गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास जीवन स्तर का एक आधारभूत न्यूनतम मानक वहन करने हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।
- अर्थशास्त्री और नीति निर्धारक "पूर्ण" गरीबी का अनुमान "गरीबी रेखा" नामक देहली सीमा से उपभोग व्यय में कमी के रूप में लगाते हैं।
- आधिकारिक गरीबी रेखा, एक "गरीबी रेखा टोकरी" (पी.एल.बी.) में उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय है।
- इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या (लागो की संख्या के अनुपात के रूप में व्यक्त गरीबी के मामलों के साथ) के संदर्भ में गरीबी को मापा जा सकता है।
- गरीबी की "गहराई" इंगित करती है कि गरीब लोग, गरीबी रेखा से नीचे कितनी दूर स्थित हैं।

उत्पाद की टोकरी में क्या शामिल है?

- पी.एल.बी. में वे उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें जीवन के बुनियादी न्यूनतम मानक के लिए आवश्यक माना जाता है, वे भोजन, कपड़े, किराया, वाहन और मनोरंजन हैं।
- खाद्य घटक की कीमत का अनुमान कैलोरी मानदंड या पोषण लक्ष्य का उपयोग करके लगाया जा सकता है।
- 1990 तक, कैलोरी मानदंड विधि का उपयोग किया जाता था- यह पांच सदस्यों के परिवार के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.एम.आर.) द्वारा अनुशंसित कैलोरी की न्यूनतम संख्या पर आधारित था।

- हालांकि, यह विधि विभिन्न खाद्य समूहों पर विचार नहीं करती है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, यही कारण है कि **तेंदुलकर समिति ने पोषण संबंधी परिणामों को लक्षित किया था**।
- **लकड़वाला समिति** ने माना था कि स्वास्थ्य और शिक्षा, राज्य द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं पर व्यय को उसके द्वारा प्रस्तावित उपभोग की टोकरी से बाहर रखा जाना चाहिए था।
- 1990 के दशक से स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च में काफी वृद्धि हुई है, तेंदुलकर समिति ने उन्हें टोकरी में शामिल किया था।
- टोकरी में संशोधन और अनुमान की पद्धति में अन्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 97% से बढ़कर 45.3% हो गया था।

गरीबी संख्या क्यों महत्वपूर्ण हैं?

केंद्रीय योजनाओं के कारण गरीबी संख्या मायने रखती है, जैसे:

- अंत्योदय अन्न योजना (जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराती है)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (बी.पी.एल. परिवारों का स्वास्थ्य बीमा), नीति आयोग या पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा दी गई गरीबी की परिभाषा का उपयोग करती है।
- केंद्र, इन योजनाओं के लिए राज्यों को उनके गरीबों की संख्या के आधार पर धन आवंटित करता है।

बहिष्करण की त्रुटियां, पात्र परिवारों को लाभ से वंचित कर सकती हैं।

गरीबी का अनुमान

- 2011 में, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सैबाइन अल्किरे और जेम्स फोस्टर ने 10 संकेतकों का उपयोग करके गरीबी का निर्धारण करने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) तैयार किया था।
- ये संकेतक **पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्कूल में उपस्थिति, संपत्ति का स्वामित्व और उचित घर, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच** हैं।
- इन संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई में गरीबी को अभाव के रूप में मापा जाता है।
- 2015-16 में, 546 मिलियन (लगभग 37 करोड़) भारतीयों के 10 संकेतकों में से तीन या अधिक के लिए अभाव कट-ऑफ को पूरा करने का अनुमान लगाया गया था।
- जब कि 2015-16 में समग्र गरीबों की संख्या बहुआयामी गरीबी अनुपात 9% था, ग्रामीण भारत के लिए यह संख्या 36.8% और शहरी भारत के लिए 9.2% थी।

गरीबी पर समितियां

अब तक 6 आधिकारिक समितियों ने भारत में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है:

- 1962 का कार्यकारी समूह (आयु और लिंग-विशिष्ट कैलोरी आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया था)
- 1971 में वी. एन. दांडेकर और एन. रथ
- 1979 में वाई. के. अलाघ
- 1991 में डी. टी. लकड़वाला (उपभोग टोकरी से स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को छोड़कर)
- 2009 में सुरेश तेंदुलकर (लक्षित पोषण परिणामों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा व्यय को शामिल करके)
- 2014 में सी. रंगराजन (अव्यवस्थित ढंग से चयनित खाद्य घटक, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी तक पहुंच और प्रदूषकों के प्रसार को छोड़कर), जिसे सरकार ने रिपोर्ट में शामिल नहीं किया था।

ICoSDiTAUS-2020

- हाल ही में, नई दिल्ली में चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा प्रणालियों में निदान और शब्दावलियों के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICoSDiTAUS) संपन्न हुआ है।

- इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय और डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा किया गया था।
- इसने "पारंपरिक चिकित्सा (टी.एम.) नैदानिक डेटा के संग्रह और वर्गीकरण पर नई दिल्ली घोषणापत्र" को अपनाया है।

नई दिल्ली घोषणापत्र के संदर्भ में जानकारी:

- नई दिल्ली घोषणापत्र ने स्वास्थ्य देखभाल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पारंपरिक चिकित्सा (टी.एम.) के प्रति देशों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।
- इसने डब्ल्यू.एच.ओ. के बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जैसी चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को शामिल करने का अवसर मांगा है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक नैदानिक उपकरण हैं।

स्रोत- पी.आई.बी.

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

केंद्रीय बजट 2020-21

- भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया है।
- यह किसी भी वित्त मंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा बजट भाषण था, जो 2 घंटे 30 मिनट से अधिक समय का था। 60 वर्षीय सीतारमण ने जुलाई, 2019 में बजट भाषण के 2 घंटे 17 मिनट के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

केंद्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

बजट के तीन प्रमुख विषय

- **एस्पिरेशनल इंडिया**- स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर नौकरियों तक पहुंच के साथ जीवनशैली के बेहतर मानक
- **सभी के लिए आर्थिक विकास**- "सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास"
- **केयरिंग सोसायटी**- मानवीय और दयालु दोनों, विश्वास के एक लेख के रूप में अंत्योदय

तीन व्यापक विषयों को एक साथ रखा गया है:

- भ्रष्टाचार मुक्त, नीति-चालित सुशासन
- स्वच्छ और सशक्त वित्तीय क्षेत्र
- केंद्रीय बजट 2020-21 की तीन थीम द्वारा रेखांकित की जाने वाली ईज ऑफ लिविंग

एस्पिरेशनल इंडिया के तीन घटक

- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
- कल्याण, जल और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल

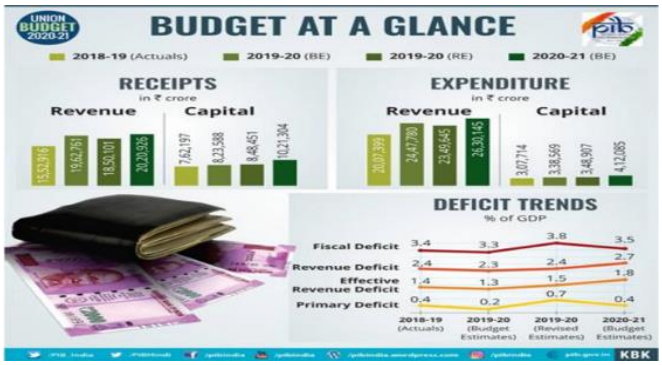

- **वित्तीय वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जी.डी.पी. के 8% पर आंका गया है।**

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट के उद्देश्य:

- **डिजिटल गवर्नेंस** के माध्यम से सेवाओं के निर्बाध वितरण को प्राप्त करना
- **राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन** के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना
- **आपदा लचीलापन** के माध्यम से जोखिम का शमन
- **पेंशन और बीमा प्रवेश** के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

पर्यटन बजट

- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,500 करोड़ रुपये और संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित किया है।

- वित्त मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संचालन हेतु एक डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ पहला भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रमुख बोली में वित्त मंत्री ने 8 नए संग्रहालयों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 5 प्रतिष्ठित स्थलों के आसपास बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना शामिल है, इसके अतिरिक्त पूरे भारत में 5 प्रमुख संग्रहालयों के नवीनीकरण का प्रस्ताव शामिल है।

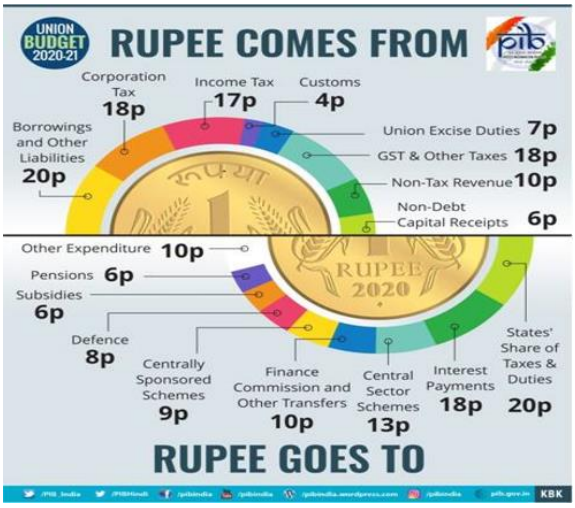

- निम्नलिखित स्थानों पर संग्रहालय के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में पांच पुरातात्विक स्थलों को स्थापित/ विकसित किया जाएगा:
  - राखीगढ़ी (हरियाणा)
  - हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
  - शिवसागर (असम)
  - धोलावीरा (गुजरात)
  - आदिचानल्लूर (तमिलनाडु)

<u>वित्तीय क्षेत्र</u>

- वित्तीय क्षेत्र में पूंजी के प्रवाह को अनलॉक करने की दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजारों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में केंद्रीय बजट 2020-21 में कई संशोधनों का अनावरण किया है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) को जमा बीमा कवरेज को पिछले 1 लाख रूपए प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख रूपए प्रति जमाकर्ता करने की अनुमति दी गई है।
- एन.बी.एफ.सी. के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 के माध्यम से ऋण वसूली तंत्र के लिए पात्र होने हेतु 500 करोड़ रूपए की मौजूदा परिसंपत्ति आकार को घटाकर 100 करोड़ रूपए करने या ऋण आकार को मौजूदा 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख करने करने का प्रस्ताव किया गया है।
- वित्त मंत्री ने PFRDAI अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो PFRDAI से सरकारी कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे सरकार के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना भी हो सकेगी।
- सरकार ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) के माध्यम से एल.आई.सी. में अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
- उन्होंने GIFT-IFSC में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जो वैश्विक बाजार सहभागियों द्वारा व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में है।

- कॉरपोरेट बॉन्ड में एफ.पी.आई. की सीमा को आउटस्टैंडिंग स्टॉक के मौजूदा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- नया डेब्ट आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.), जिसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाएगा।

समाज कल्याण बजट

- वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया है।
- उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 53,700 करोड़ रुपये का आवंटन भी प्रदान किया है।
- इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्रस्तावित किया है।

महिला एवं बाल बजट

- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 में महिलाओं और बच्चों पर ध्यान देने के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनावरण किया है।
- वित्त मंत्री ने कहा है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कारण शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है।
- प्राथमिक स्तर पर, यह लड़कों के लिए 28% के मुकाबले 94.32% है।
- पोषण अभियान, जिसे 2017-18 में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण की स्थिति (0-6 वर्ष) को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की आयु के मुद्दे की जांच के लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाएगी।
- वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए लगभग 28,600 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है।

स्वास्थ्य बजट

- केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वास्थ्य देखभाल के लिए लगभग 69,000 करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लिए 6400 करोड़ रूपए शामिल हैं।
- पी.पी.पी. मोड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विंडो प्रस्तावित की गई है।
- वित्त मंत्री ने 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 सर्जिकलों की पेशकश करने वाली जनऔषधि केंद्र योजना का विस्तार करने की भी घोषणा की है।

- सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत रेजिडेंट डॉक्टर्स डी.एन.एबी./ एफ.एन.बी. कोर्स ऑफर करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को भी प्रोत्साहित करेगी।

शिक्षा बजट

- केंद्रीय बजट 2020-21 में रोजगार क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता के पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है।
- 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का कुल परिव्यय और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का परिव्यय रखा गया है।
- मंत्री ने व्याख्या की है कि राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल देगी।

नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी

- प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने, नवाचार करने और बेहतर प्रयोगशालाओं का निर्माण करने के लिए वित्त की अधिक आमद सुनिश्चित करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और एफ.डी.आई. को सक्षम करने हेतु कदम उठाए जाएंगे।
- वंचित वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री स्तर पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- हालांकि, ये केवल उन संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हैं।
- अपने "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय-उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों की बेंचमार्किंग करने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक इंड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है।

रक्षा बजट

- केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए रक्षा बजट के रूप में 3.37 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए इस क्षेत्र के लिए आवंटन पर केवल 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
- पेंशन के बिना रक्षा बजट, जी.डी.पी. का केवल 1.5 प्रतिशत है।
- निराशाजनक हिस्सा यह है कि बजट अनुमान और 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2020-21 के लिए रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में बहुत मामूली वृद्धि हुई है।
- पूंजी परिव्यय में अरक्षित न्यूनतम वृद्धि से सेना, नौसेना और वायु सेना के कई प्रमुख अधिग्रहण प्रभावित होंगे।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- पर्यावरण पर, जो राज्य एक मिलियन से अधिक आबादी के शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए मानदंड और इस उद्देश्य के लिए 2020-21 के लिए आवंटन 4,400 करोड़ रुपये है।

सीमा एवं उत्पाद शुल्क (बजट)

- घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क के माध्यम से एक मामूली स्वास्थ्य उपकर (5% की दर से) लगाने का प्रस्ताव किया है।
- केंद्रीय बजट ने पी.टी.ए. (शुद्धीकृत टेरेफेथिक एसिड) पर एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
- पी.टी.ए., कपड़ा फाइबर और धागे के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।

- केंद्रीय बजट ने अखबारी कागज और हल्के वजन वाले लेपित कागज के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव किया है।
- इन वस्तुओं पर इस करारोपण ने प्रिंट मीडिया पर उस समय अतिरिक्त बोझ डाला है, जब यह एक कठिन दौर से गुजर रहा है।
- बजट में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के माध्यम से उत्पाद शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। बीड़ीयों की शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

व्यक्तिगत आयकर और कराधान का सरलीकरण

- वित्त मंत्री ने एक नई और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कुछ निश्चित कटौती और छूट त्यागने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर की दरों में काफी कमी आएगी।
- कर स्तर में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं:

करयोग्य आयकर स्तर (रू.)	वर्तमान कर दर	नई कर दर
0-2.5 लाख	छूट	छूट
2.5-5 लाख	5%	छूट
5-7.5 लाख	20%	10%
7.5-10 लाख	20%	15%
10-12.5 लाख	30%	20%
12.5-15 लाख	30%	25%
15 लाख से अधिक	30%	30%

- अधिभार और उपकर मौजूदा दरों पर लगाए जाते रहेंगे।

लाभांश वितरण कर

- वर्तमान में, कंपनियों को अपने लाभ पर कंपनी द्वारा देय कर के अतिरिक्त अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर 15% की दर और लागू अधिभार और उपकर से लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) का भुगतान करना आवश्यक है।
- भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने डी.डी.टी. को हटाने और लाभांश कराधान की शास्त्रीय प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके अंतर्गत कंपनियों को डी.डी.टी. का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभांश केवल उनकी लागू दर पर प्राप्तकर्ताओं के हाथों पर लगाया जाएगा।
- व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए वित्त मंत्री ने अपनी सहायक कंपनी से होल्डिंग कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के लिए कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।
- डी.डी.टी. को हटाने से अनुमानित वार्षिक राजस्व 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा।

"विवाद से विश्वास" योजना

- प्रस्तावित "विवाद से विश्वास" योजना के अंतर्गत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।
- 31 मार्च, 2020 के बाद योजना का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

- यह योजना 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी।

जी.एस.टी. (बजट)

- 1 अप्रैल, 2020 से एक सरलीकृत जी.एस.टी. रिटर्न लागू किया जाएगा। यह निल रिटर्न के लिए एस.एम.एस. आधारित फाइलिंग, रिटर्न प्री-फिलिंग, बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण जैसी सुविधाओं के साथ रिटर्न फाइलिंग को आसान बना देगा।
- केंद्रीय बजट ने उपभोक्ता चालान के लिए डायनामिक क्यू.आर.-कोड प्रस्तावित किया है।
- खरीद के लिए भुगतान जब क्यू.आर.- कोड के माध्यम से किया जाता है तो जी.एस.टी. मापदंडों को अधिकृत किया जाएगा।
- ग्राहकों को चालान लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद इनाम की प्रणाली की परिकल्पना की गई है।
- एक इलेक्ट्रॉनिक चालान एक अन्य नवाचार है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक केंद्रीकृत प्रणाली में कैप्चर किया जाएगा। यह अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

विविध

- 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों का राज्य हिस्सा एक प्रतिशत घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है।
- वित्त सचिव ने कहा है कि एल.आई.सी. आई.पी.ओ. वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आ सकता है।
- पी.पी.पी. के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा **किसान रेल** की स्थापना की जाएगी।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा **कृषि उड़ान** शुरू किया जाएगा।
- बागवानी क्षेत्र में बेहतर विपणन और निर्यात हेतु **वन-प्रोडक्ट वन-डिस्ट्रिक्ट**
- **जैविक खेती** पोर्टल- ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादों के बाजार को मजबूत करना
- उच्च निर्यात ऋण संवितरण को प्राप्त करने के लिए नई योजना **निर्विक** शुरू की जाएगी, जो निम्न के लिए प्रदान करता है:
    - उच्च बीमा कवरेज
    - छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी
    - दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20: मुख्य विशेषताएं

- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश किया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की थीम: " **इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ #इकानॉमी@5ट्रिलियन विद इट्स थीम ऑफ #वेल्थ क्रिएशन" है।**
- यह मुख्य आर्थिक सलाहकार (सी.ई.ए.), वर्तमान में डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ई.ए.) के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विशेषताएं

संपत्ति निर्माण: विश्वसनीय हाथों द्वारा समर्थित अदृश्य हाथ

- वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में आर्थिक इतिहास के तीन-चौथाई के लिए भारत के प्रभुत्व को डिजाइन द्वारा प्रकट किया गया है।
- सर्वेक्षण कहता है कि भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा महत्वपूर्ण रूप से निम्न पर निर्भर करती है:
- बाजार के अदृश्य हाथ को मजबूत करना
- विश्वसनीय हाथों से इसका समर्थन करना
- *सार्वजनिक भलाई के रूप में विश्वास* के विचार को प्रस्तुत करना, जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है।

- सर्वेक्षण का सुझाव है कि नीतियों को डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारदर्शिता और प्रभावी प्रवर्तन को सशक्त बनाना चाहिए।

जमीनी स्तर पर उद्यमिता और संपत्ति सृजन

- उत्पादकता वृद्धि और संपत्ति सृजन को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में उद्यमशीलता
- विश्व बैंक के अनुसार, नई फर्म तैयार करने के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर है।
- 2014 से भारत में नई फर्मों का निर्माण नाटकीय रूप से बढ़ गया है:
- 2006-2014 के दौरान 3.8% की तुलना में 2014-18 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की 2% संचयी वार्षिक वृद्धि दर थी।
- 2018 में लगभग 1.24 लाख नई फर्मों का निर्माण हुआ था, 2014 में लगभग 70,000 से लगभग 80% की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

- सर्वेक्षण में पी.एस.यू. में अनावरण के लिए आक्रामक रूप से एक अलग कॉर्पोरेट इकाई का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी को हस्तांतरित किया जा सकता है और समय के साथ वापस लिया जा सकता है।
- सर्वेक्षण में 11 पी.एस.यू. के डेटा का विश्लेषण किया गया था, जिन्हें 1999-2000 और 2003-04 में वापस लिया गया था और समान उद्योग में अपने समकक्षों के साथ डेटा की तुलना की थी।
- इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में कहा गया है कि निजीकरण संस्थाओं ने अपने समकक्षों की तुलना में परिणामी मूल्य, लाभ, इक्विटी पर रिटर्न और बिक्री के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है।

बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: स्टॉक लेना

- सर्वेक्षण ने 2019 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में माना है।
- वैश्विक शीर्ष 100 बैंको में भारत का केवल एक बैंक है, समान देश जो इसके आकार का एक अंश हैं: फिनलैंड (लगभग 1/11वां), डेनमार्क (1/8 वां) आदि हैं।

जी.डी.पी. वृद्धि के संदर्भ में संदेह

- जी.डी.पी. वृद्धि, निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण चर है।
- इसलिए, 2011 में संशोधित अनुमान पद्धति के बाद भारत की जी.डी.पी. आकलन की सटीकता के संदर्भ में हाल की बहस बेहद महत्वपूर्ण है।
- जब देश कई अवलोकनीय और अप्राप्य तरीकों से भिन्न होते हैं, तो क्रॉस-कंट्री की तुलना अन्य उलझाव कारकों के प्रभाव को अलग करके और केवल जी.डी.पी. विकास अनुमानों पर कार्यप्रणाली संशोधन के प्रभाव को अलग करके की जानी चाहिए।
- वे मॉडल जो 2011 के बाद से भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% की वृद्धि का गलत अनुमान लगाते हैं, समान अवधि के लिए नमूना में 95 देशों में से 51 के लिए जी.डी.पी. की वृद्धि को गलत बताते हैं।

भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी.):

- भारत की बी.ओ.पी. स्थिति मार्च के अंत में मार्च, 2019 में US $ 9 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार सुधरकर सितंबर, 2019 के अंत में US $ 433.7 बिलियन पर पहुँच गई है।
- चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) 2018-19 में 2.1% से बढ़कर 2019-20 के एच 1 में जी.डी.पी. का 1.5% है।
- 10 जनवरी 2020 तक विदेशी भंडार 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

वैश्विक व्यापार:

- भारत के माल व्यापार संतुलन में 2009-14 से 2014-19 तक सुधार हुआ है, हालांकि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार 2016-17 में कच्चे तेल की कीमतों में 50% से अधिक गिरावट के कारण हुए हैं।
- भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, यू.ए.ई., सऊदी अरब और हांगकांग हैं।

निर्यात:

- शीर्ष निर्यात वस्तुएं: पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधि निर्माण और जैविक, सोना और अन्य कीमती धातुएं
- 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.), इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), चीन और हांगकांग हैं
- माल निर्यात और जी.डी.पी. में अनुपात में कमी से बी.ओ.पी. की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आयात:

- शीर्ष आयात वस्तुएं: क्रूड पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिक्यूट्स
- भारत का सबसे अधिक आयात चीन से होना जारी है, इसके बाद अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का स्थान है।
- आयात टोकरी में अधिक कच्चे तेल का आयात, भारत के कुल आयात को कच्चे तेल के मूल्य के साथ सहसंबद्ध करता है।
- जैसे ही क्रूड का मूल्य बढ़ता है, कुल आयात में क्रूड की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जिससे आयात-जी.डी.पी. अनुपात बढ़ जाता है।

भारत का रसद उद्योग:

- विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर 2018 में 44वें स्थान पर है, जो 2014 में 54वें स्थान से ऊपर है।

प्रत्यक्ष निवेश और प्रेषण:

- 2019-20 में तीव्र सकल एफ.डी.आई. प्रवाह जारी रहा, जिसने पहले आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित किया था, जो 2018-19 की समान अवधि से अधिक था।
- 2019-20 के पहले आठ महीनों में सकल एफ.पी.आई. 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- विदेशों में नियोजित भारतीयों से सकल प्रेषण में वृद्धि जारी रही है, जो 2019-20 के एच1 में 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता है, जो पिछले वर्ष के स्तर का 50% से अधिक है।

मूल्य और मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति:

- 2014 से मुद्रास्फीति की दर में गिरावट देखी जा रही है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) मुद्रास्फीति 2018-19 में 3.7 प्रतिशत (अप्रैल से दिसंबर 2018) से बढ़कर 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर 2019) में 4.1 प्रतिशत हो गई है।
- डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति, 2018-20 (अप्रैल से दिसंबर 2019) के दौरान 4.7 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर 2018) में 4.7 प्रतिशत से गिरकर 1.5 प्रतिशत हो गई है।

आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद अधिनियम, अप्रचलित हो गया है

- ई.एस. के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बोली में स्टॉक सीमा की बाध्यता से वास्तव में मूल्य की अस्थिरता में वृद्धि हुई है।
- ये निष्कर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) और अन्य "कालभ्रमित कानून" और हस्तक्षेपकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ रिपोर्ट में एक सख्त हमले में सामने आए हैं, जिसमें दवा मूल्य नियंत्रण, अनाज खरीद और कृषि ऋण छूट जैसी हस्तक्षेपी सरकारी नीतियां शामिल हैं।

- केंद्र ने भारी बारिश के बाद खरीफ की एक चौथाई फसल बर्बाद होने के बाद प्याज पर स्टॉक सीमा लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया और इससे कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई थी।

कृषि

- कृषि में मशीनीकरण के निम्न स्तर से कृषि उत्पादकता भी बाधित होती है, जो भारत में लगभग 40% है, जो चीन (59.5%) और ब्राज़ील (75%) से बहुत कम है।
- कृषि क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण ने तर्क दिया है कि कृषि ऋण माफी के लाभार्थी कम उपभोग करते हैं, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और कम उत्पादक हैं।

खाद्य प्रबंधन

- देश के कुल सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी, गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण लगातार घट रही है।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के क्षेत्र से 2019-20 के लिए आधारभूत मूल्यों पर जी.वी.ए. 2.8% बढ़ने का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

- केंद्र और राज्यों द्वारा जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर खर्च 2014-15 में 6.2% से बढ़कर 2019-20 (बी.ई.) में 7.7% हो गया है।
- मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2018 में 129 से बढ़कर 2017 में 130 हो गई थी।
- 34% औसत वार्षिक एच.डी.आई. वृद्धि के साथ, भारत सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में से एक है।
- माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार करना होगा।
- भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावट के कारण बढ़ी है:
- लगभग 60% उत्पादक आयु (15-59) समूह पूर्णकालिक घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए हैं।

थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की एक थाली का अर्थशास्त्र

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कहा गया है कि शाकाहारी थालियों की वहन क्षमता में 2006-07 से 2019-20 तक 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जब कि समान अवधि के लिए मांसाहारी थालियों में 18 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- थाली की वहन क्षमता समय के साथ एक कार्यकर्ता के एक दिन के वेतन के साथ सुधरी है, जिससे आम व्यक्ति के बेहतर कल्याण का संकेत मिलता है।
- सर्वेक्षण कहता है कि भोजन न केवल अपने आप में एक अंत है, बल्कि मानव विकास की पूंजी में एक आवश्यक घटक है और इसलिए राष्ट्रीय धन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

'थालीनॉमिक्स' शब्द

- "थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की एक थाली का अर्थशास्त्र" के आधार पर भारत में यह निष्कर्ष तैयार किया गया है कि पूरे भारत में एक सामान्य व्यक्ति एक थाली के लिए क्या भुगतान करता है, यह निर्धारित करने का प्रयास करता है।
- अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मूल्य डेटा का उपयोग अध्ययन के लिए किया गया है।
- भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए थालियों की कीमत का निर्धारित की जाती है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि पूरे भारत और 4 क्षेत्रों- उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम-

- यह पाया गया है कि 2015-16 के बाद से शाकाहारी थाली की पूर्ण कीमतें काफी कम हो गई हैं, हालांकि 2019 में कीमत बढ़ गई है।
- यह बढ़ती कीमतों के पिछले रुझान के विपरीत सब्जियों और दाल की कीमतों में तेज गिरावट कारण है।
- इसके परिणामस्वरूप, 5 व्यक्तियों का एक औसत परिवार जो प्रति दिन दो शाकाहारी थालियां खाता है, वह प्रति वर्ष औसतन रूप से 10887 रुपये खर्च करता है, जब कि एक मांसाहारी घराने ने औसत रूप से प्रति वर्ष औसतन 11787 रुपये खर्च करता है।

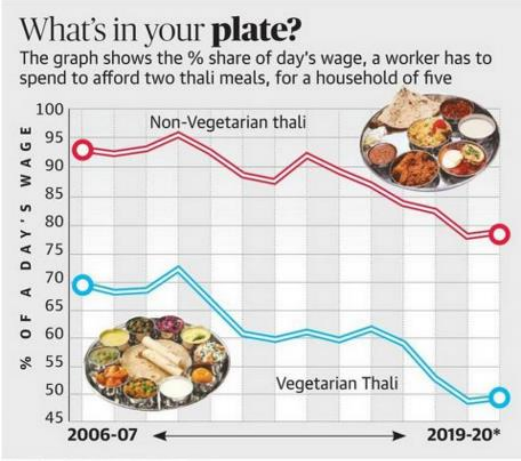

SOURCE: SURVEY CALCULATIONS
NOTE: *: CALCULATIONS FOR 2019-20 BASED ON PRICES FOR THE PERIOD APRIL-OCTOBER, 2019

थाली गतिशीलता में परिवर्तन

- सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2015-16 को उस वर्ष के रूप में माना जा सकता है जब थाली कीमतों की गतिशीलता में बदलाव हुआ था।
- कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और साथ ही बेहतर और अधिक पारदर्शी पारदर्शी खोज के लिए कृषि बाजारों की दक्षता और प्रभावशीलता हेतु 2014-15 के बाद से कई सुधार उपायों की शुरुआत की गई थी।

कृषि के लिए केंद्रीय बजट 2020-21

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बजट 2020 में किसानों की आय को दोगुना करने, बागवानी क्षेत्र, खाद्य भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 कार्रवाई बिंदुओं का प्रस्ताव किया है।

किसानों की आय दोगुनी करना

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का इरादा रखते हुए सरकार ने स्टैंड-अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों तक पी.एम.-कुसुम का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।
- किसानों की उनकी परती/ बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में किसानों को सक्षम करने हेतु परिचालन योजना शुरू करना है।
- "जैविक खेती" पर पोर्टल- ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादों के बाजार को भी मजबूत किया जाएगा।

भंडारण और रसद

- भंडारण के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने ब्लॉक स्तर पर पी.पी.पी. मोड पर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।
- उन्होंने अपनी जमीन पर भी भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) और केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा गोदाम निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

किसान रेल

- यह दूध, मांस सहित खराब होने वाली सामग्रियों के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करता है।
- भारतीय रेलवे पी.पी.पी. व्यवस्था के माध्यम से किसान रेल स्थापित करेगी।
- कृषि उड़ान, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और आदिवासी जिलों में मूल्य वसूली में सुधार करने में मदद करेगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि उड़ान का शुभारंभ करेगा।

पशुपालन

- सरकार का उद्देश्य वर्ष 2025 तक भेड़ और बकरी में खुर एंड मुख संबंधी रोग, मवेशियों में ब्रुसीलोसिस और पेस्ट डेस पेटिटिस रूमिनैंट्स (पी.पी.आर.) को खत्म करना है।
- सरकार ने 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करने की भी सुविधा प्रदान की है।

कृषि ऋण

- वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

बागवानी

- बेहतर विपणन और निर्यात के लिए सरकार सहायक राज्यों का प्रस्ताव करेगी, जो समूह आधार को अपनाते हुए "एक उत्पाद, एक जिले" पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

ब्लू इकोनॉमी

- ब्लू इकोनॉमी में, 2022-23 तक मछली उत्पादन को 200 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- 3477 सागर मित्र और 500 मछली किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मत्स्य विस्तार में युवाओं को शामिल किया जाएगा।
- मत्स्य निर्यात के वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है।

पुरस्कार की मुख्य विशेषताएं

- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा इस योजना के शुरू होने के बाद से 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में क्रमशःपहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
- समान श्रेणी में, 1 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली पहले स्थान पर है। हिमाचल दूसरे स्थान पर और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है।

1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार

- इंदौर (मध्य प्रदेश) प्रथम स्थान
- आंध्र प्रदेश में कुरनूल दूसरे स्थान पर
- असम में दक्षिण सालमारा मनकाचर तीसरे स्थान पर था

1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में

- पहला स्थान मिजोरम में सेरशिप को
- यूनैन हिमाचल प्रदेश के लिए दूसरा स्थान
- पुदुचेरी तीसरे स्थान पर था

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में जानकारी

- पी.एम.एम.वी.वाई. देश के सभी जिलों में 01.01.2017 से शुरू किया गया मातृत्व लाभ कार्यक्रम है।

- पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पी.डब्ल्यू. & एल.एम.) के बैंक/ डाकघर के खाते में प्रत्यक्ष रूप से 5000 रूपए की नकद प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाती है।
- निधि हस्तांतरण, मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए परिवार के पहले जीवित बच्चे के अधीन है।
- पी.एम.एम.वी.वाई. को राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत छत्रीय आई.सी.डी.एस. की आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच का उपयोग करके लागू किया गया है।
- पी.एम.एम.वी.वाई. को केंद्र द्वारा तैनात वेब आधारित एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से लागू किया गया है और कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु आंगनवाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.) और आशा/ए.एन.एम. है।

वैश्विक दुर्गति सूचकांक

- हाल ही में, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक दुर्गति सूचकांक (जी.एम.आई.) के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।

वैश्विक दुर्गति सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- दुर्गति सूचकांक, आर्थर ओकुन द्वारा बनाया गया है, जो कि अमेरिका के आर्थिक सलाहकारों की परिषद के सदस्य हैं।
- हालांकि, एक प्रायौगिक अर्थशास्त्री, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रो. स्टीव हैंके ने वैश्विक दुर्गति सूचकांक को लोकप्रिय बनाया है।
- उन्होंने भारत को 95 देशों में से 44वां स्थान प्रदान किया है।
- बेंचमार्क, पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के बजाय बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर जैसे मापदंडों के आधार पर लोगों के "दुर्गति स्कोर" को मापता है।

कार्यप्रणाली

- यह तीन महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों पर आधारित है, जो निम्न हैं:
- बेरोजगारी की दर
- मुद्रास्फीति की दर
- उधार दर

दुर्गति सूचकांक की गणना करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि को इन तीन दरों के योग से घटाया जाता है, जो एक स्कोर प्राप्त होता है वह यह बताता है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने दुखी हैं।

उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना

- केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री ने उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना, जम्मू और कश्मीर के कार्यान्वयन की तेज निगरानी करने हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की है।

उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह परियोजना, सिंधु जल संमझौते के अंतर्गत भारत के अधिकारों का तेजी से उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- इस परियोजना का निर्माण उझ नदी पर जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में किए जाने की योजना है, जो रावी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
- यह परियोजना, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग को बढ़ाएगी।

सिंधु जल समझौता के संदर्भ में जानकारी

- सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित जल-वितरण संधि है।

- इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।
- सिंधु प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां शामिल हैं।
- भारत और पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन और अफगानिस्तान के लिए एक छोटे से हिस्से के साथ घाटी साझा करते हैं।
- सिंधु जल संधि के अंतर्गत सिंधु की तीन सहायक नदियों- सतलज, व्यास और रावी में बहने वाला पानी भारत को आवंटित किया गया है, जब कि चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के जल को पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।

सिंधु नदी पर भारत की परियोजनाएं

- भारत ने सतलज और पोंग पर भाखड़ा बांध और व्यास पर पंडोह बांध और रावी पर रणजीतसागर बांध का निर्माण किया है।
- परियोजना में निम्न शामिल हैं:
- पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी बांध परियोजना
- पंजाब में सतलज-ब्यास लिंक परियोजना
- जम्मू और कश्मीर में उझ बांध परियोजना

शुद्ध टेरिफ्थैलिक अम्ल

- हाल ही में बजट में, सरकार ने पी.टी.ए. नामक रसायन के आयात पर लगाए जाने वाले एक एंटी-डंपिंग शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

शुद्ध टेरिफ्थैलिक अम्ल के संदर्भ में जानकारी

- यह एक आधारभूत कच्चा माल है जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें पॉलिएस्टर कपड़े शामिल हैं।
- पी.टी.ए., पॉलिएस्टर उत्पाद का लगभग 70-80% हिस्सा बनाता है और इसलिए, यह मानव निर्मित कपड़ों या उनके घटकों के निर्माण में शामिल उत्पादों हेतु महत्वपूर्ण है।
- इसमें पॉलिएस्टर, स्टेपल फाइबर और कता सूत जैसे उत्पाद शामिल हैं।

एंटी-डंपिंग शुल्क

- सामान्य रूप से एंटी-डंपिंग कार्यों का उद्देश्य उस डंपिंग को समाप्त करना है, जो घरेलू उद्योग को चोट पहुंचा रही है और भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित करना है, जो देश के सामान्य हित में है।
- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग में कार्यरत एंटीडम्पिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी.) द्वारा प्रशासित है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय के संदर्भ में जानकारी

- यह 2018 में स्थापित किया गया था और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह एंटी-डंपिंग एवं एलाइड संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, सुरक्षा उपाय महानिदेशालय और विदेशी व्यापार महानिदेशालय के कुछ कार्यों को सम्मिलित करता है।

मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना

- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने "मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना" शुरू की है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य वार्षिक वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।

- इस योजना के अंतर्गत, राज्य में उन परिवारों को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और 5 एकड़ से कम भूमि है।
- इस योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए धन का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक 2019

- आवास एवं शहरी मंत्रालय ने दो मूल्यांकन फ्रेमवर्क अर्थात ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स (ई.ओ.एल.आई.) और नगर निगम प्रदर्शन सचकांक (एम.पी.आई.) लांच किए हैं।
- ये दोनों सूचकांक नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के संदर्भ में जानकारी

- ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का उद्देश्य, भारतीय शहरों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के प्रमुख उद्देश्य चार हैं:
    - साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण के लिए जानकारी उत्पन्न करना
    - एस.डी.जी. सहित व्यापक विकासात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को तेज करना
    - विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से प्राप्त परिणामों का आकलन और तुलना करना
    - शहर प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में नागरिकों के विचार को प्राप्त करना

यह सूचकांक तीन व्यापक मापदंडों पर नागरिकों के रहने की सुगमता का आकलन करेगा

- जीवन की गुणवत्ता
- आर्थिक क्षमता
- स्थायित्व, जिसे 50 संकेतको में 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, जिसमें ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के 30% अंक हैं।

नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य पांच समर्थकों- सेवा, वित्त, योजना, प्रौद्योगिकी और शासन के आधार पर नगरपालिकाओं के प्रदर्शन का आकलन करना है जिसे भविष्य में 20 क्षेत्रों और 100 संकेतकों में विभाजित किया गया हैं।

विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस

- विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस, प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समान पहुँच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम विज्ञान में समावेशी हरित विकास हेतु महिलाओं और लड़कियों में निवेश है।

विज्ञान में लिंग अंतर

- 2014-16 के यूनेस्को के आंकड़े बताते हैं कि केवल 30% महिला छात्राएं उच्च शिक्षा में एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित क्षेत्रों का चयन करती हैं।
- महिला नामांकन विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (3%), प्राकृतिक विज्ञान, गणित और सांख्यिकी (5%) और इंजीनियरिंग और संबद्ध संवर्गों (8%) में कम है।
- भारत में, 2016-17 की नीति आयोग की रिपोर्ट ने वर्ष 2015-16 तक पांच वर्षों में विभिन्न विषयों में महिला नामांकन की तुलना की है।
- 2015-16 में, 15.6% लड़कों के मुकाबले स्नातक पाठ्यक्रमों में 3% महिला छात्रों को इंजीनियरिंग में दाखिला दिया गया था।
- इसके विपरीत, 3.3% लिंग की तुलना में 3% महिला छात्रों को चिकित्सा विज्ञान में दाखिला दिया गया था।

- रिपोर्ट में पाया गया था कि आई.आई.टी., एन.आई.टी., इसरो और डी.आर.डी.ओ. सहित 620 से अधिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य महिलाओं की उपस्थिति 0% थी।

लिंग अंतर क्यों है

- विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि लड़कियां, स्कूल में गणित और विज्ञान-उन्मुख विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं लेकिन अक्सर लड़के मानते हैं कि वे बेहतर कर सकते हैं, जो उच्च अध्ययन में उनकी पसंद को आकार देते हैं।
- 2015 में, ओ.ई.सी.डी. द्वारा पीसा स्कोर के विश्लेषण में पाया गया था कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियों के बीच गणित के अंकों में अंतर स्कूल में लगभग आधे वर्ष के बराबर था।
- लेकिन जब उन लड़कों और लड़कियों की तुलना की गई जो समान स्तर के आत्मविश्वास और गणित के संदर्भ में चिंता की करते थे, तो प्रदर्शन में लिंग अंतर गायब हो गया था- जो लड़कियां अधिक चिंतित थीं, वे खराब प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति रखती थी।

SPICe+

- हाल ही में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मौजूदा SPICe फॉर्म की जगह एक नया वेब फॉर्म 'SPICe +' तैनात किया है।
- SPICe का पूरा नाम सिम्प्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली है।

SPICe के संदर्भ में जानकारी

- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ एक कंपनी को शामिल/ पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन पत्र है।
- यह पहल भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.) को बेहतर बनाने के प्रयास का एक हिस्सा है।
- SPICe +, केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों और विभागों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करेगा।
    - कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
    - वित्त मंत्रालय में श्रम मंत्रालय एवं राजस्व विभाग
    - एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र)

दस सेवाएं हैं:

- नाम आरक्षण, एक नई कंपनी को शामिल करना, निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) आवंटन, पैन, टैन, ई.पी.एफ.ओ., ई.एस.आई.सी., व्यसायिक कर (महाराष्ट्र) के लिए आवेदन करना, बैंक खाता खोलना और जी.एस.टी. पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.) के लिए आवेदन करना हैं।
- यह सभी नई कंपनी निगमन के लिए लागू होगा।

फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है।

- फेसबुक ने सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में अपना 'वी थिंक डिजिटल' कार्यक्रम शुरू किया है।

कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे वर्ष में सात राज्यों में एक लाख महिलाओं को गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचना के मुद्दों के बारे में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू होगा और असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार सहित अन्य राज्यों तक विस्तारित होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.), भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है।
- यह सामान्यत: महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है।

नवजात मृत्यु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, मध्य प्रदेश ने देश भर में पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा संचालित बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एस.एन.सी.यू.) में हुए कुल दाखिलों के मुकाबले 5% नवजात मृत्यु का अधिकतम प्रतिशत दर्ज किया है।
- हालांकि राज्य में नवजात शिशुओं (28 दिनों से कम) का भर्ती होना अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2019 तक कम हो गया है- पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है।

मौतों के लिए जिम्मेदार कारक

- स्टाफ की कमी
- निम्न सामुदायिक रेफरल
- स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विशेष नवजात परिवहन सेवा की अनुपस्थिति
- अंतिम उपाय के रूप में शहरों में इकाइयों पर निर्भरता
- संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त इकाइयों की अनुपलब्धता

अति-गहन लिंग अनुपात

- मध्य प्रदेश ने देश के औसत 773 के मुकाबले तीन वर्षों में 663 (लड़कियों की संख्या 1,000 लड़कों के मुकाबले) में प्रवेश में अति-गहन लिंगानुपात दर्ज किया है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 था।
- पश्चिम बंगाल में इस अवधि में 34,344 नवजात मौतें दर्ज की गई हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं, मौतों के प्रतिशत में वर्ष 2017 में 2% से 2019 में 8.9% तक प्रवेश में मंदी के साथ गिरावट आई है।

नवजात मृत्यु दर

नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, भारत में नवजात की मौत मुख्य रूप से निम्न कारणों होती है:

- समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन (9%)
- निमोनिया (9%)
- जन्म एस्फिक्सिया और जन्म आघात (9%)
- अन्य गैर-संचारी रोग (9%)
- डायरिया (7%)
- जन्मजात विसंगतियाँ (6%)
- संक्रमण (2%)

नोट:

- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत, भारत सहित प्रत्येक देश ने प्रति 1,000 जीवित जन्मों में नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 तक लाने का लक्ष्य रखा है।
- 2018 में, यह भारत के लिए 23 थी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

- केरल सरकार ने पैकेज्ड पानी की कीमत को विनियमित करने के लिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संदर्भ में जानकारी

- सरकार द्वारा इसका उपयोग कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए किया जाता है, इन्हें उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए 'आवश्यक' घोषित किया जाता है।
- अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में दवाएं, उर्वरक, दालें और खाद्य तेल और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

- कभी भी आवश्यक्ता पड़ने पर केंद्र नई वस्तुओं को शामिल कर सकता है

ब्लू डॉट नेटवर्क

- हाल ही में, भारत और अमेरिका ब्लू डॉट नेटवर्क पर चर्चा करेंगे, जो पूरे क्षेत्र और अन्य देशों में बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को शामिल करने के एक नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
- यह कदम चीन के बेल्ट एंड रोड पहल (बी.आर.आई.) के माध्यम से अपने रणनीतिक पदचिन्हों के विस्तार का सामना करने में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है।

ब्लू डॉट नेटवर्क के संदर्भ में जानकारी

- औपचारिक रूप से नवंबर, 2019 में बैंकाक, थाईलैंड में भारत-प्रशांत व्यापार फोरम में इसकी घोषणा की गई थी, जिसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका करेगा।
- यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने हेतु यह एक बहु-हितधारक पहल है।
- इसके भारत-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ ही सड़कों, बंदरगाहों और पुलों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में काम करने की उम्मीद है।
- पहल विभिन्न मापदंडों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी, जिसमें सार्वजनिक परामर्श का स्तर, वित्त पोषण में पारदर्शिता, ऋण जाल और बुनियादी पर्यावरण मानदंड शामिल हैं।
- मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को एक "ब्लू डॉट" मिलेगा, जो उन्हें निजी धन को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें अकेले राज्य के वित्तपोषण पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इस विचार (ब्लू डॉट नेटवर्क) में भागीदार के रूप में शामिल हैं।

वन बेल्ट वन रोड (ओ.बी.ओ.आर.) के संदर्भ में जानकारी

- वन बेल्ट वन रोड (ओ.बी.ओ.आर.), चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग की उपज है।
- इसे प्रारंभ में वर्ष 2013 में एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग को बहाल करने के उद्देश्य से घोषित किया गया था।
- इसे चीनी अधिकारियों द्वारा "शताब्दी की परियोजना" के रूप में करार दिया गया है, ओ.बी.ओ.आर. लगभग 78 देशों में फैला हुआ है।
- "बेल्ट एंड रोड" पहल- जिसे "वन बेल्ट, वन रोड" के रूप में भी जाना जाता है, का ध्यान मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, परिवहन और ऊर्जा पर है।

परियोजना में दो भाग शामिल हैं।

- पहले को "सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट" कहा जाता है, जो मुख्य रूप से भूमि-आधारित है और इसके चीन को मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से जोड़ने की उम्मीद है।
- दूसरे को "21वीं सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड" कहा जाता है, जो समुद्र आधारित है और इसके चीन के दक्षिणी तट को भूमध्य सागर, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने की उम्मीद है।
- **ये नाम भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि 'बेल्ट' वास्तव में सड़कों का एक नेटवर्क है, और 'रोड' एक समुद्री मार्ग है।**

नोट:

- भारत, वन बेल्ट वन रोड पहल का सदस्य नहीं है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां

- हाल ही में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया है कि उसने जनवरी, 2020 तक जैव विविधता प्रबंधन समितियों और लोगों का जैव विविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) बनाया है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संदर्भ में जानकारी

- जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बी.एम.सी.), संवैधानिक निकाय हैं जो स्थानीय निकायों द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत बनाई गई हैं।

- बी.एम.सी. में 1/3 महिला और 18% एस.सी./ एस.टी. सहित स्थानीय निकायों द्वारा नामित एक अध्यक्ष और छह व्यक्ति शामिल हैं।

बी.एम.सी. के कार्य निम्नानुसार हैं:

- स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) तैयार करना, उसका रखरखाव और सत्यापन करना।
- बी.एम.सी. को बी.एम.सी. के अधिकार क्षेत्र के भीतर उपलब्ध जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के विवरण के बारे में जानकारी देने वाले रजिस्टर का विनिमय करना है।
- जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय vaids और चिकित्सकों के बारे में डेटा बनाए रखने के लिए
- जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय वैध और चिकित्सकों के बारे में डेटा बनाए रखने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर परामर्श के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
- लोगों के जैव विविधता रजिस्टर में "स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान पर व्यापक जानकारी" शामिल है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो 2003 में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है।
- यह पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करता है।
- इसका मुख्यालय चेन्नई, भारत में स्थित है।

कार्य:

- यह "संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दों" पर भारत सरकार के एक सुविधाजनक, विनियमन और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता महत्व (जैव विविधता हॉटस्पॉट) के क्षेत्रों की पहचान करने की भी सलाह देता है।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के संदर्भ में जानकारी

- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए संसद का एक अधिनियम है।
- यह पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- अधिनियम को जैविक विविधता पर सम्मेलन के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था, जिसका 2002 में भारत एक हिस्सा था।

माइक्रोसॉफ्ट ने बी2बी स्टार्टअप के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया है।

- हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एक सेवा स्टार्टअप (एस.ए.ए.एस.) के रूप में बी2बी सॉफ्टवेयर के लिए 100X100X100 प्रोग्राम को लॉन्च किया है।

प्रोग्राम के संदर्भ में जानकारी

- यह पहल 100 प्रतिबद्ध कंपनियों और 100 शुरुआती और विकास स्टार्टअप्स को एक साथ लाएगी, जिनके पास देने के लिए उद्यम-तैयार समाधान हैं।
- यह प्रोग्राम एस.ए.ए.एस. समाधानों को तेजी से अपनाने के माध्यम से उद्यमों की अपने डिजिटल परिवर्तन को तेजी से करने में मदद करेगा।

- प्रत्येक भाग लेने वाली कंपनी एस.ए.ए.एस. स्टार्टअप द्वारा प्रदान किए गए समाधानों पर 18 महीने के दौरान $ 100 हजार खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।
- यह पहल स्टार्टअप के लिए पैमाना निर्माण और अद्भुत अवसर बनाने में मदद करेगी।

मसाला बांड

- एशियाई विकास बैंक ने भारत आई.एन.एक्स. के वैश्विक ऋण सूचीकरण प्लेटफॉर्म पर 850 करोड़ रूपये के अपने दस वर्षीय मसाला बांड सूचीबद्ध किए हैं।
- प्राप्तियों का उपयोग स्थानीय मुद्रा उधार और भारत में बी.एस.ई. के स्वामित्व एक्सचेंज में निवेश का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

भारत आई.एन.एक्स. के संदर्भ में जानकारी

- यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है, जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी में स्थित है।
- ए.डी.बी. के मसाला बांड को लक्ज़मबर्ग एक्सचेंज और भारत आई.एन.एक्स. दोनों में सूचीबद्ध किया गया है।

मसाला बॉन्ड के संदर्भ में जानकारी

- मसाला बॉन्ड, भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रूपये-मूल्य वाले ऋण हैं।
- मसाला बॉन्ड्स का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि प्रदान करना, उधार के माध्यम से आंतरिक विकास को तेज करना और भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है।

विज्ञान और तकनीकि समसामयिकी

राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग मिशन

- सरकार ने अपने बजट 2020 में राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग मिशन (एन.एम.-क्यू.टी.ए.) की घोषणा की है।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी

- यह क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांतों पर आधारित है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करता है।
- क्वांटम दो स्तरीय प्रणाली (क्वांटम बिट्स या क्यूबाइट्स) का उपयोग करते हुए क्वांटम कंप्यूटर भंडारण एवं प्रक्रिया सूचना का उपयोग करके जानकारी को संग्रहीत करते हैं और जो शास्त्रीय बिट्स के विपरीत सुपरपोजिशन राज्यों में तैयार किए जा सकते हैं।
- मिशन फाइबर और फाइबर स्पेस, क्वांटम एन्क्रिप्शन और क्रिप्ट-विश्लेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटरों को सुरक्षित रखने और विकसित करने में मदद करता है।
- इसके अनुप्रयोगों को जो बढ़ावा मिलेगा, उनमें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी, सिमुलेशन, संचार और वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित करना, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- यह उच्च कुशल नौकरियों, मानव संसाधन विकास, स्टार्ट-अप और उद्यमिता के निर्माण पर केंद्रित है जो प्रौद्योगिकी के लिए अग्रणी है और आर्थिक विकास की ओर ले जाता है।

चेयोप्स मिशन

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ई.एस.ए.) ने 2019 में कैरेक्ट्राइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट (CHEOPS) लॉन्च किया था, जो विशेष रूप से रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए एक्सोप्लैनेट पर केंद्रित है।
- यह ई.एस.ए. का पहला मिशन है, जो एक्स्ट्रासोलर ग्रहों के अध्ययन हेतु समर्पित है।
- यह मिशन नए ग्रहों की खोज पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा बल्कि इसके बजाय उन सैकड़ों ग्रहों का अनुसरण करेगा जिन्हें "अभूतपूर्व" यथार्थता और सटीकता के साथ उनके आकार को मापने के प्रयास के रूप में पहले ही खोजा जा चुका है।
- चेयोप्स, बादलों की उपस्थिति सहित कुछ निश्चित ग्रहों के वातावरण के बारे में विवरण प्रदान करने में सक्षम होगा और पहले की अज्ञात दुनिया की खोज भी कर सकता है।

अतिरिक्त जानकारी

- नासा की केपलर अंतरिक्ष वेधशाला ने 2,600 से अधिक पुष्टि किए गए एक्सोप्लेनेट्स का पता लगाने के लिए पारगमन विधि का उपयोग किया है, इनमें से अधिकांश 300 से 3,000 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित धूमिल सितारों की परिक्रमा कर रहे हैं।
- एजेंसी का नया ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.एस.) समान कार्य को अप्रैल, 2018 से ही कर रहा है।

बासमती चावल जीनोम अनुक्रमण

- वैज्ञानिकों ने बासमती चावल की दो किस्मों: बासमती 334 और डोम सूफिड के पूर्ण जीनोम का मानचित्रण किया है।

संबंधित जानकारी

- बासमती 334: यह पाकिस्तान का है, जिसे शुष्क सहिष्णु और चावल-मारने वाले जीवाणु के प्रतिरोधी के लिए जाना जाता है।

- डोम सूफिड: यह ईरान का है, सुगंधित लंबे अनाज वाला चावल है जो बाजार में सबसे महंगें चावलों में से एक है।
- बासमती में सबसे अधिक आनुवंशिक सामग्री- पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले एक चावल समूह- जपोनिका से आती है, इसके बाद बांग्लादेश में चावल समूह औस पाया जाता है।

नोट:

- पश्चिम बंगाल सरकार का चावल अनुसंधान केंद्र, एक नई किस्म का चावल लेकर आया है जिसे मुक्तोश्री कहा जाता है, जो आर्सेनिक युक्त क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।

महिला जननांग विकृति

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार, विश्व स्तर पर आज 200 मिलियन से अधिक जीवित लड़कियों को 30 से अधिक देशों में एफ.जी.एम. का सामना करना पड़ा है।
- प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति (एफ.जी.एम.) के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

महिला जननांग विकृति के संदर्भ में जानकारी

- यह ऐसी प्रक्रियाओं को दिया गया नाम है जिसमें गैर-चिकित्सीय या सांस्कृतिक कारणों से महिला जननांग को बदलने या घायल करने की प्रक्रिया शामिल है।

डब्ल्यू.एच.ओ. ने चार प्रकार के एफ.जी.एम. को वर्गीकृत किया है

- टाइप 1 (भगशिश्निका को आंशिक या पूर्ण से हटाना)
- टाइप 2 (भगशिश्निका के बाहरी और दिखाई देने वाले हिस्सों और योनी की भीतरी परतों को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना)
- टाइप 3 (कवरिंग सील के निर्माण के माध्यम से जनेंन्द्रिय पर कवच या खोल चढ़ाना या योनि के खुलने को संकुचित करना)
- टाइप 4 (जननांग क्षेत्र को काटना, छेदना, काटकर अलग करना, खुरचना और दागना)
- एफ.जी.एम. से गुजरने वाली अधिकांश लड़कियां और महिलाएं उप-सहारा अफ्रीका और अरब राज्यों में रहती हैं लेकिन एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी इसका प्रचलन है।

महिला जननांग विकृति का अभ्यास क्यों किया जाता है?

- यह क्षेत्र पर निर्भर करता है, एफ.जी.एम. का अभ्यास करने के विभिन्न कारण हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कारणों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
- मनो-यौन कारण (जब एफ.जी.एम. को महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में किया जाता है, "जिसे कभी-कभी अतृप्य भी कहा जाता है यदि जननांगों के हिस्सों, विशेष रूप से भगशिश्निका को नहीं हटाया जाता है)
- समाजशास्त्रीय या सांस्कृतिक कारण (जब एफ.जी.एम. को नारीत्व में लड़की के प्रवेश और समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के आंतरिक भाग के रूप में देखा जाता है)
- स्वच्छता और सौंदर्य संबंधी कारण (यह उन समुदायों के लिए कारण हो सकता है जो बाहरी महिला जननांग को बदसूरत और गंदा मानते हैं)
- धार्मिक कारणों (यू.एन.एफ.पी.ए. का कहना है कि एफ.जी.एम. को ईसाई धर्म या इस्लाम का समर्थन में नहीं प्राप्त है लेकिन "माना जाता है" धार्मिक सिद्धांतों का उपयोग अभ्यास को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है)
- सामाजिक-आर्थिक कारक (कुछ समुदायों में एफ.जी.एम. विवाह के लिए शर्त है, विशेषकर उन समुदायों में जहाँ महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती हैं)।

- डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा उद्धृत अन्य कारणों में एफ.जी.एम. के बारे में माना जाता है कि कामेच्छा को कम करने के लिए महिलाओं के मूल कौमार्य को सुनिश्चित करने का प्रयास शामिल है और इसलिए माना जाता है कि वह विवाहेतर यौन कार्यों का विरोध करने में मदद करता है।

भारत में महिला जननांग विकृति

- 2018 में, भारत में एफ.जी.एम. पर एक अध्ययन में कहा गया था कि यह अभ्यास बोहरा मुस्लिम समुदाय में 75 प्रतिशत तक था।
- दाउदी बोहरा समुदाय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद से इस प्रथा को अनुमति दी जानी चाहिए।

रेमडेसिविर

- वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेज, ने अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी फर्म गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है।
- यह नॉवेल कोरोनावायरस (एन.सी.ओ.वी.-2019) के इलाज में मदद कर सकता है।

कोरोना वायरस के संदर्भ में जानकारी

- वुहान, कोरोना वायरस के प्रकोप का केंद्र है, जिसने चीन में सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और हजारों को संक्रमित किया है।
- दुनिया भर के अन्य देशों में वायरस फैलने के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) ने पिछले हफ्ते इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता (पी.एच.ई.आई.सी.) का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है।
- यह एक ज़ूनोटिक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में गुजरता है।
- ज़ूनोटिक रोगों को ज़ूनोसेस भी कहा जाता है जो जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं।

वुहान कोरोना वायरस- भारतीय संदर्भ

- भारत में नॉवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की केरल में पुष्टि की गई थी।
- केरल, राज्य सरकार ने राज्य आपदा घोषित की है।

2016 से लीथियम-आयन बैटरी आयात में चार गुना वृद्धि हुई है।

- भारत ने 2016-2018 से लिथियम-आयन (ली-आयन) बैटरी के अपने आयात को चार गुना कर दिया है और उत्पाद पर अपने आयात बिल को तीन गुना से अधिक कर दिया है, यह सेलफोन से लेकर इलेक्ट्रिक डिवाइसों की व्यापक श्रृंखला के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आयात का प्रमुख स्रोत:

- भारतीय निर्माताओं ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया और दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से ली-आयन बैटरी का स्रोत बनाया है।

भारत में विनिर्माण बढ़ाने की आवश्यकता:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ऐसी बैटरियों का निर्माण करता है लेकिन इनका वॉल्यूम सीमित हैं और वे अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की भारत में लीथियम-आयन बैटरी की मांग में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार होने की उम्मीद है, हालांकि रिपोर्टों का कहना है कि यह कम से कम 2025 तक होने की संभावना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें अभी भी उनके दहन-इंजन समकक्षों की तुलना में काफी महंगी हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- जून, 2018 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) और आर.ए.ए.एस.आई. सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत तमिलनाडु के कराईकुडी में केंद्रीय इलेक्ट्रो रसायन अनुसंधान

संस्थान (सी.ई.सी.आर.आई.) ने भारत की पहली लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ऐसी बैटरियों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल के संचालन" हेतु एक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है, जिसे नीति आयोग में ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर एक राष्ट्रीय मिशन कहा जाता है।
- सरकार ने वर्ष 2040 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाने के लिए $ 4 बिलियन के निवेश की घोषणा की है।

लिथियम-आयन बैटरी के संदर्भ में जानकारी:

- लिथियम आयन बैटरी, एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है।
- ली-आयन बैटरी, गैर-रिचार्जेबल बैटरी में प्रयोग की जाने वाली लीथियम धातु की तुलना में एक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में सन्निवेशित (अंतनिवेश, परतनुमा संरचना में अणु का प्रतिवर्ती समावेशन या अणु को सम्मिलित करना है) लीथियम यौगिक का प्रयोग करती है।
    - बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आयनिक गति की अनुमति देता है और दो इलेक्ट्रोड लिथियम आयन बैटरी सेल के प्रमुख घटक हैं।
    - लिथियम आयन, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित होते हैं और चार्ज करते समय वापस आते हैं।
- वे सैन्य, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रकार की रिचार्जेबल बैटरियों में से एक हैं।

सुपरकैम

- हाल ही में, नासा अपने मंगल मिशन पर मंगल ग्रह रोवर पर सवार सात उपकरणों में से एक के रूप में एक नया लेजर-टॉटिंग रोबोट भेज रहा है, जिसे सुपरकैम कहा जाता है।

सुपरकैम के संदर्भ में जानकारी

- यह एक रोबोट है जिसका उपयोग खनिज विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए लगभग 7 मीटर दूर तक किया जाता है।
- यह वैज्ञानिकों की मंगल पर जीवाश्म माइक्रोबियल जीवन के संकेत खोजने में मदद कर सकता है।

सुपरकैम का कार्य

- सुपरकैम उन चट्टानों की बनावट और रसायनों को देखता है जो बहुत पहले मंगल पर पानी में गठित या परिवर्तित हो चुके हैं।
- सुपरकैम विभिन्न चट्टान और "मिट्टी" प्रकारों को देखता है जो कि मंगल पर पिछले माइक्रोबियल जीवन के संकेतों को संरक्षित कर सकते हैं- यदि कोई भी अस्तित्व में है।
- यह यह भी पहचानता है कि मार्टियन धूल में कौन से तत्व मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

यारा वायरस

- ब्राजील की एक झील में, शोधकर्ताओं ने एक वायरस की खोज की है जो उन्हें असामान्य और मनोहर लगा है।
- यारा वायरस, अमीबा को संक्रमित करता है और इसमें ऐसे जीन हैं जिन्हें पहले वर्णित नहीं किया गया है, कुछ ऐसा चुनौती दे सकता है कि डी.एन.ए. वायरस कैसे वर्गीकृत किया गया है।
- यारा वायरस के छोटे आकार के कारण, यह अमीबा को संक्रमित करने वाले अन्य विषाणुओं के विपरीत था और उन्होंने इसका नाम तुपी-गुआरानी स्वदेशी जनजातियों की पौराणिक कहानियों में यारा, "जल की माँ" के रूप में दिया था।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, यह वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करता है।

शुक्र, बृहस्पति के चंद्रमा, नेपच्यून के लिए नासा मिशन

- हाल ही में, नासा ने घोषणा की है कि उसने संभावित नए मिशनों के लिए अवधारणा अध्ययन विकसित करने हेतु चार खोज कार्यक्रम जांच का चयन किया है।
- दो प्रस्ताव शुक्र की यात्राओं के लिए हैं और प्रत्येक बृहस्पति के चंद्रमा और नेप्च्यून के चंद्रमा ट्राइटन के लिए प्रस्ताव है।

ये हैं:

DAVINCI + (डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस)

- ये यह समझने के लिए शुक्र के वायुमंडल का विश्लेषण करेगा कि यह कैसे गठित और विकसित हुआ था और क्या यह कभी महासागर था।
- यह स्थलीय ग्रहों के गठन की समझ को उन्नत करेगा।

IVO (आई.ओ. ज्वालामुखी प्रेक्षक)

- यह बृहस्पति के चंद्रमा आई.ओ. के अन्वेषण का एक प्रस्ताव है, जो ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है।
- इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ज्वारीय बल, खगोलीय निकायों को कैसे आकार देते हैं।
- ये निष्कर्ष सौर मंडल में चट्टानी, स्थलीय निकायों और बर्फीले महासागर की दुनिया के गठन और विकास के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं।

ट्राइडेंट

- इसका उद्देश्य नेप्च्यून के बर्फीले चंद्रमा, ट्राइटन का पता लगाना है, जिससे कि वैज्ञानिक, सौर मंडल में रहने योग्य दुनिया के विकास को समझ सकें।

VERITAS (वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी)

- इसका उद्देश्य यह पता लगाने हेतु शुक्र की सतह का मानचित्रण करना होगा कि शुक्र, पृथ्वी से इतना भिन्न क्यों विकसित हुआ है।

भारत का पहला 'डार्कनेट' नारकोटिक्स ऑपरेटिव पकड़ा किया गया है।

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी.) ने कहा है कि उसने देश के पहले डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है।

डार्कनेट के संदर्भ में जानकारी

- यह गहरे छिपे हुए इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म को संदर्भित करता है जो कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से दूर रहने के लिए ओनियन राउटर (टी.ओ.आर.) के गुप्त गलियों का उपयोग करके मादक पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री के आदान-प्रदान और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है जिसके कारण इसे क्रैक करना बहुत कठिन माना जाता है, जब यह उस पर दी जा रही आपराधिक गतिविधियों की जांच करता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी.), भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।
- यह मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरूपयोग के हेतु जिम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह एक वैश्विक ऑपरेशन ट्रान्स का भी हिस्सा था, जिसे दिसंबर, 2019 में लॉन्च किया गया था।
- ऑपरेशन ट्रान्स अंतरराष्ट्रीय डाक, एक्सप्रेस मेल और कोरियर शिपमेंट पर एक संयुक्त खुफिया-एकत्रित कार्रवाई को बढ़ाता है, जिनमें अवसाद और दर्द निवारक के रूप में दुरूपयोग की जाने वाली नशीली दवाएं शामिल हैं।
- साइकोट्रोपिक (नशीली) दवाएं, वे दवाएं हैं जिन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर खरीदा जा सकता है।

गूगल 'स्टेशन' कार्यक्रम को समाप्त करेगा।

- गूगल ने विश्व स्तर पर धीरे-धीरे सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है क्यों कि इसका मानता है कि बेहतर डेटा योजना और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार ने इसे उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए "सरल और सस्ता" बना दिया है।
- हालांकि, भारत में उपयोगकर्ता कार्यक्रम के लिए भारत में रेलटेल, गूगल के भागीदार के माध्यम से 400 से अधिक स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करना जारी रख सकेंगे।

स्टेशन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह कार्यक्रम भारत में वर्ष 2015 में गूगल, भारतीय रेलवे और रेलटेल के बीच एक साझेदारी के रूप में तेज और मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई लाने के लिए शुरू किया गया था।

पीली जंग

- पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गेहूं की फसलों में पीली जंग बीमारी के संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी की है।

पीली जंग के संदर्भ में जानकारी

- यह रोग गेहूं की फसल के पत्तों और पत्तियों पर पाउडर या धूल की पीली धारियों के रूप में दिखाई देता है।
- यह रोग जन्मजात परिस्थितियों में तेजी से फैल सकता है और फसल के विकास को प्रभावित करता है और अंततः उपज को भी प्रभावित कर सकता है।
- शोध के अनुसार, 5-30 प्रतिशत उपज इस बीमारी के कारण प्रभावित हो सकती है।
- भारत में, यह उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में एक प्रमुख बीमारी है और ठंड के मौसम की शुरुआत के दौरान आसानी से फैलती है और जब हवा की स्थिति अनुकूल होती है।

नोट:

- एच.डी.-3226 या पूसा यशस्वी को पिछले वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पीले/ धारी, भूरी/ पत्ती और काले/ तने जैसे प्रमुख जंग कवक के खिलाफ प्रतिरोध का उच्च स्तर था।

माइक्रो आर.एन.ए.

- बैंगलुरू के राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र और तंजावुर के सस्त्र विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पौधों में माइक्रो आर.एन.ए. नामक छोटे अणु कैसे बनते हैं।

माइक्रो आर.एन.ए. के संदर्भ में जानकारी

- यह एक छोटा गैर-कोडिंग आर.एन.ए. अणु (लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड युक्त) पौधों, जानवरों और कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जो कि आर.एन.ए. की गुप्तता और जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में कार्य करता है।
- माइक्रो आर.एन.ए., एमआर.एन.ए. अणुओं के भीतर पूरक दृश्यों के साथ बेस-पेयरिंग के माध्यम से कार्य करता है।
- परिणामस्वरूप, इन एमआर.एन.ए. अणुओं को निम्न प्रक्रियाओं में से एक या एक से अधिक से गुप्त किया जाता है:
    - एमआर.एन.ए. की दरार दो टुकड़ों में टूटती है
    - इसके पॉली (ए) टेल को छोटा करने के माध्यम से एमआर.एन.ए. की अस्थिरता
    - एमआर.एन.ए. का प्रोटीन में कम कुशल अनुवाद करना

सुपरजाइंट स्टार बेटेलगेयूज

- हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन (ई.एस.ओ.) के वेरी लार्ज टेलीस्कोप (वी.एल.टी.), खगोलविदों ने बेटेलगेयूज के अभूतपूर्व आकार के कम होने पर गौर किया है।

स्टार बेटेलगेयूज के संदर्भ में जानकारी

- सामान्यत: बेटेलगेयूज, रात के आकाश में ग्यारहवा-सबसे चमकीला तारा है और रिगेल के बाद, ओरियन के तारामंडल में दूसरा सबसे चमकीला तारा है, जो सूर्य से 20 गुना बड़ा है।
- यह लाखों वर्ष पहले एक बहुत विशालकाय तारे के रूप में पैदा हुआ था और पिछले छह महीनों के लिए "नाटकीय रूप से" और "रहस्यमय तरीके से" सिकुड़ रहा है।
- वर्णक्रमीय प्रकार एम.1-2 के लाल सुपरजाइंट के रूप में वर्गीकृत, बेटेलगेयूज नग्न आंखों से दिखाई देने वाले सबसे बड़े सितारों में से एक है, इसके सौर मंडल के केंद्र में होने की कल्पना की गई है।

भारतीय बायोजेट ईंधन

- हाल ही में, लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे से एक भारतीय वायुसेना ए.एन.-32 विमान ने 10 प्रतिशत भारतीय बायो-जेट ईंधन के मिश्रण का उपयोग करके उड़ान भरी है।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि विमान के दोनों इंजन बायो-जेट स्वदेशी ईंधन द्वारा संचालित थे।

बायोजेट ईंधन के संदर्भ में जानकारी

- यह "अखाद्य वृक्ष जनित तेल" से तैयार किया जाता है और भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से खरीदा जाता है।
- यह ईंधन जट्रोफा तेल से बनाया जाता है जो छत्तीसगढ़ बायोडीजल विकास प्राधिकरण से प्राप्त होता है और फिर इसे सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी., देहरादून में संसाधित किया जाता है।
- इस ईंधन का उत्पादन करने की तकनीक 2013 में सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी. द्वारा विकसित की गई थी, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए इसका तुरंत परीक्षण और प्रमाणन नहीं किया जा सका था।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विमान का उड़ान परीक्षण किया गया था और लेह के लिए परिचालन उड़ान शुरू करने से पहले इसके प्रदर्शन को चंडीगढ़ एयर बेस पर मान्य किया गया था।

पर्यावरण के अनुकूल

- भारतीय वायु सेना परिवहन विमान में जैव ईंधन का उपयोग किया गया है, इस तरह के नवाचारों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और देश के तेल आयात बिल में भी कमी आएगी।

एच1एन1 वायरस

- हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं जो एच1एन1 वायरस के कारण होता है।

एच1एन1 के संदर्भ में जानकारी

- यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो पहली बार 2009 में रिपोर्ट किया गया था।
- मनुष्यों को संक्रमित करने वाले वायरस का प्रभाव केवल महामारी है।
- वायरस के अन्य उपभेद हैं, जिनके नाम स्वाइन इन्फ्लूएंजा इनफेक्टिंग पिग और एवियन इन्फ्लुएंजा इंफेक्टिंग बर्ड में हैं।

नोट:

- महामारी, एक बीमारी है जो दुनिया भर में फैल सकती है।

आई.एन.सी.ओ.आई.एस. ने तीन नई उन्नत चेतावनी प्रणाली लॉन्च की हैं।

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर जानकारी सेवा केंद्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) ने मछुआरों, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए तीन नए उत्पादों को लॉन्च किया है।
- ये उत्पाद हैं:
- लघु सलाहकार एवं पूर्वानुमान सेवा प्रणाली (एस.वी.ए.एस.)
- महातरंग वृद्धि पूर्वानुमान प्रणाली (एस.एस.एफ.एस.)
- शैवाल ब्लूम सूचना सेवा (ए.बी.आई.एस.)

लघु सलाहकार एवं पूर्वानुमान सेवा प्रणाली (एस.वी.ए.एस.)

- एस.वी.ए.एस., भारतीय तटीय जल चेतावनी में संचालित छोटे जहाजों के लिए उन संभावित स्थलों के बारे में है, जहां 10 दिन पहले से जहाज की ओवरटर्निंग हो सकती है।
- सभी नौ तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग किए जाने वाले मछली पकड़ने के जहाजों की किरण चौड़ाई की पूरी श्रृंखला को कवर करते हुए सात मीटर तक किरण चौड़ाई के छोटे जहाज इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
- यह चेतावनी प्रणाली, नाव सुरक्षा सूचकांक (बी.एस.आई.) पर आधारित है, जो लहर की ऊँचाई, स्थिरता, दिशात्मक प्रसार और समुद्र में हवा के तेजी से विकास जैसे लहर मॉडल पूर्वानुमान आउटपुट से प्राप्त होता है, जो नाव-विशिष्ट होते है।

महातरंग वृद्धि पूर्वानुमान प्रणाली (एस.एस.एफ.एस.)

- एस.एस.एफ.एस. को पश्चिमी तट में दो-तीन दिन पहले आने वाले महातरंग प्रसारों के पूर्वानुमान के लिए डिज़ाइन किया गया है क्यों कि वे सामान्यत: स्थानीय लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं।
- कल्लाक्काडल, एक बोलचाल की भाषा है जिसका इस्तेमाल केरल के मछुआरों ने फ्रीकी बाढ़ के प्रकरणों को संदर्भित करने के लिए किया है, यूनेस्को ने भी इस शब्द को वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वीकार किया था।
- ' कल्लाक्काडल ' के दौरान, समुद्र भूमि में प्रसारित होता है और विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है।
- हालांकि, यह सुनामी से भिन्न है क्योंकि दो अलग-अलग प्रकार की तरंगें शामिल होती हैं।

शैवाल ब्लूम सूचना सेवा (ए.बी.आई.एस.)

- ए.बी.आई.एस., पादप प्लवक शैवालों के प्रसार के संदर्भ में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने हेतु मछुआरों, मत्स्य संसाधन प्रबंधकों और पारिस्थितिकविदों की मदद करता है।
- यह उत्तर पूर्वी अरब सागर, केरल के तटीय जल, मन्नार की खाड़ी और गोपालपुर के तटीय जल में प्रजातियों और आकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं लचीलाता सम्मेलन

- राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं लचीलाता सम्मेलन (सी.डी.आर.आर. और आर)- 2020 का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य तटीय आपदा जोखिमों और प्रभावी सहयोगी कार्यों की बेहतर समझ के संदर्भ में मानव क्षमता को बढ़ाना है।
- इसने प्रधानमंत्री के 10-बिंदु एजेंडा और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क को भी लागू किया है।

प्रधानमंत्री का 10-बिंदु एजेंडा:

- सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
- सभी के लिए जोखिम कवरेज की दिशा में काम, गरीब घरों से शुरू करके एस.एम.ई. से बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर देश-राज्यों तक है।
- आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की अधिक भागीदारी और नेतृत्व
- विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश करें। भूकंप जैसे खतरों से संबंधित जोखिमों के मानचित्रण के लिए, हमने मानकों और मापदंडों को स्वीकार किया है।
- हमारे आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता को बढ़ाने के लिए उत्तोलन प्रौद्योगिकी
- आपदा मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना
- सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना
- स्थानीय क्षमता और पहल पर निर्माण करना
- किसी आपदा से सीखने का अवसर बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आपदा के बाद, उनसे सीखे गए सबक पर दस्तावेज होते हैं, जो शायद ही कभी लागू होते हैं।

- आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य लाना

सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क के संदर्भ में जानकारी:

- इसे वर्ष 2015 में जापान के मियागी प्रांत के सेंडाई शहर में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अपनाया गया था।
- यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक गैर-बाध्यकारी समझौता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है।
- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित किया गया था।

हेन्नेगुयासलमिनिकोला: सूक्ष्म परजीवी में कोई माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. नहीं है।

- हाल ही में, शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बिना माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. के साथ एक बहुकोशिकीय जानवर की खोज की है, जो इसे सांस लेने में ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता के बिना जीवित रहने वाला एकमात्र ज्ञात जानवर बनाता है।

हेन्नेगुयासलमिनिकोला के संदर्भ में जानकारी

- यह एक छोटा सा है, 10 से कम कोशिका वाला परजीवी है जो सॉलमन की मांसपेशी में रहता है।
- पृथ्वी पर मौजूद सभी बहुकोशिकीय जानवरों की सामान्य विशेषताओं में से एक माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन है, जिस प्रक्रिया से ऑक्सीजन का उपयोग करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पादित किया जाता है।
- एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ए.टी.पी.) का उपयोग कोशिकीय प्रक्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है।
- यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें शरीर की शेष कोशिकाओं में पाया जाने वाला स्वयं का जीनोम और मुख्य जीनोम दोनों होते हैं लेकिन हेन्नेगुयसालमिनिकोला इसके लिए एक अपवाद है।

नोट:

- माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की रसोई या कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है, जहां ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु ऑक्सीजन को संग्रहीत किया जाता है।

नासा इनसाइट मिशन

- नासा का इनसाइट लैंडर मिशन 26 नवंबर, 2018 को मंगल पर पहुँचा था क्योंकि यह "भूकंप, डस्ट डेविल और अजीब चुंबकीय कंपनों के साथ एक जीवित ग्रह" का खुलासा करता है।

इनसाइट के संदर्भ में जानकारी

- इनसाइट मिशन, नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है।
- यह कई यूरोपीय भागीदारों द्वारा समर्थित है, जिसमें फ्रांस का केंद्रीय राष्ट्रीय एटुडेसस्पैशियलेस (CNES), जर्मन एयरोस्पेस सेंटर (DLR) और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी (UKSA) शामिल हैं।

इनसाइट की अनूठी विशेषता

- इनसाइट पहला मिशन है जो मार्टियन सतह के नीचे गहराई देखने के लिए समर्पित है।
- इसके विज्ञान साधनों में भूकंप का पता लगाने के लिए भूकंपरोधी, हवा और हवा के दबाव को मापने के लिए सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर और एक ऊष्मा प्रवाह जांच है, जिसे ग्रह का तापमान लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इनसाइट भी एक मैग्नेटोमीटर से सुसज्जित है, जिसने चुंबकीय संकेतों का पता लगाया है।

अंडरग्राउंड: रंबल्स

- मंगल अपेक्षा से अधिक बार कंपन करता है, लेकिन अधिक हल्के ढंग से कंपन करता है। यह अति-संवेदनशील सीस्मोमीटर के रीडिंग से उभरकर सामने आया है, जिसे आंतरिक संरचना हेतु भूकंपीय प्रयोग (एस.ई.आई.एस.) कहा जाता है।

- यह यंत्र वैज्ञानिकों को सैकड़ों से हजारों मील दूर तक कई कंपन घटनाओं को "सुनने" में सक्षम बनाता है।
- मंगल के पास पृथ्वी के समान विवर्तनिक प्लेटें नहीं हैं लेकिन इसके पास ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र हैं जो रंबल्स का कारण बन सकते हैं।

चुंबकत्व

- अरबों वर्ष पहले, मंगल पर चुंबकीय क्षेत्र था, हालांकि यह अब मौजूद नहीं है, यह पीछे छोड़ दिया जाता है कि नासा "भूत" के रूप में क्या वर्णन करता है- चुम्बकीय चट्टानें जो अब जमीन से 61 मीटर से कई कि.मी. नीचे हैं।
- होमस्टेड खोखले कहे जाने वाले एक मार्टियन स्थल पर, चुंबकीय संकेत पहले अनुमानित संकेतों की तुलना में दस गुना अधिक मजबूत है (अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के आंकड़ों के आधार पर), क्यों कि इनसाइट की माप अधिक स्थानीय होने के कारण अधिक सटीक हैं।

डस्ट डेविल

- इसने गुजरने वाले हजारों बवंडरों का पता लगाया है/ महसूस किया है (लेकिन अभी तक नहीं देखा है), जिन्हें डस्ट डेविल कहा जाता है, जब वे गिट्टी उछालते हैं और दृश्यमान होते हैं।

सुरक्षा घटनाक्रम

डेफएक्सपो 2020 से पर्दा उठने वाला है।

- हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पहली बार डेफएक्सपो2020 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है।
- इस वर्ष की डेफएक्सपो इंडिया की थीम "इंडिया: द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब" है और इसका ध्यान पूर्ण रूप से "डिफेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन" पर होगा।
- डेफएक्सपो 2020 नई प्रौद्योगिकियों, तकनीकी समाधानों को लाने का वादा करता है, जहां भारत और विदेशों की रक्षा विनिर्माण कंपनियां एक मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को रक्षा क्षेत्र में प्रदर्शित करती हैं।

डेफएक्सपो के संदर्भ में जानकारी

- यह रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है।
- 40 देशों के रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
- इस कार्यक्रम का दसवां संस्करण 2018 में चेन्नई (तमिलनाडु) में आयोजित किया गया था।

प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रनाश' को विकसित करना शुरू कर दिया है।

प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- यह एक गैर-परमाणु मिसाइल होगी, जिसे एकल-चरण ठोस-प्रणोदक इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।
- यह मिसाइल 200 कि.मी. की सीमा में लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
- यह वायु सेना और थल सेना दोनों के लिए उपयोग की जाएगी।
- यह मिसाइल 150 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली प्रहार मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है, जिसे सामरिक मिशनों के लिए विकसित किया जा रहा था।

अजेय वारियर-2020 युद्धाभ्यास

- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर-2020 का पांचवां संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में आयोजित किया जाएगा।

अजेय वॉरियर-2020 के संदर्भ में जानकारी

- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों के संचालन पर जोर देने के साथ कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करना है।
- यह दोनों राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली वैश्विक आतंकवाद के बदलते पहलुओं के दायरे में आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है।
- यह युद्धाभ्यास यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- यह दोनों सेनाओं के बीच अनुभवों को साझा करते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा और अंतर-कार्यकारिता को बढ़ाएगा।

बिम्सटेक आपदा प्रबंधन युद्धाभ्यास

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ओडिशा में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आपदा प्रबंधन युद्धाभ्यास के लिए दूसरी बंगाल की खाड़ी पहल की मेजबानी करेगा।

बिम्सटेक आपदा प्रबंधन युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- युद्धाभ्यास का उद्देश्य प्रमुख प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिसूचना, तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय एजेंसियों सहित आपदा परिदृश्य में बहु-हितधारकों के समन्वय का परीक्षण भी करेगा।
- बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं जबकि भूटान और थाईलैंड भाग नहीं ले रहे हैं क्यों कि वहां यात्रा प्रतिबंध लागू हैं।

बिम्सटेक के संदर्भ में जानकारी

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है।
- इसमें सात सदस्य राज्य जैसे बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत "खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से गठित एक विशेष बल" है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत में "आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च निकाय" है।
- एन.डी.एम.ए. का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय है।

अमेरिका ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है।

- अमेरिका ने भारत को एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है जिसे NASAMS II के रूप में भी जाना जाता है।

नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम-II के संदर्भ में जानकारी

- यह नेटवर्क केंद्रित मध्यम दूरी की जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणाली है।
- NASAMS-II को क्रूज मिसाइलों और विमानों द्वारा भारतीय हितों को हमलों से बचाने का काम सौंपा जाएगा।
- NASAMS-II की अनुमानित सीमा लगभग 25 कि.मी. है।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

- हाल ही में, विदेश मंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
- इस वर्ष सम्मेलन की थीम वेस्टलेसनेस है।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- यह 1963 से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है।
- इस सम्मेलन के उद्देश्य सामयिक मुख्य सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करना और मुख्य सुरक्षा चुनौतियों पर बहस और विश्लेषण करना है।
- यह सम्मेलन निजी रूप से आयोजित किया जाता है और इसलिए यह एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं है।

मिलन 2020 युद्धाभ्यास

- युद्धाभ्यास मिलन 2020, विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा।
- मिलन 2020 की थीम: **महासागरों के मध्य तालमेल** है।

युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में आयोजित एक बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है।
- यह पहली बार 1995 में आयोजित किया गया था और 2001, 2005 और 2016 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था।
- मिलन युद्धाभ्यास का पहला संस्करण 1995 में आयोजित किया गया था जब इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित पड़ोस के सिर्फ चार देशों ने भाग लिया था।
- इन देशों ने मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एच.ए.डी.आर.) जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

नोट:

- मिलन, 2020 में 41 देशों के भाग लेने की उम्मीद है।

आई.डी.एस.ए. का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है।

- केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध प्रबुद्ध मंडल रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आई.डी.एस.) का नाम बदलकर 'मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान' करने का फैसला किया है।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों में उन्नत अनुसंधान हेतु एक भारतीय प्रबुद्ध मंडल है।
- इसने भारत सरकार के नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- यह भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है लेकिन एक गैर-पक्षपातपूर्ण और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करके और नीति-निर्माताओं और व्यापक जनता के बीच ज्ञान का प्रसार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

संयुक्त आई.ए.एफ.- आर.ए.एफ. एक्स इन्द्रधनुष- V 2020

- भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) और रॉयल एयर फोर्स (आर.ए.एफ.) ने संयुक्त रूप से एक्स इंद्रधनुष के पांचवें संस्करण की शुरुआत की है।
- युद्धाभ्यास के इस संस्करण का फोकस 'बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन' पर है।
- यह थीम आतंकवादी तत्वों से सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए हाल के खतरों को देखते हुए महत्वपूर्ण है।

एक्स इंद्रधनुष के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय वायुसेना और आर.ए.एफ. को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और संयुक्त रूप से उनके प्रतिष्ठानों के लिए आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों और युद्धनीति को मान्य करता है।

हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर

- रक्षा मंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) परिसर में हेलिकॉप्टर प्रभाग में नए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया है।

हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर के संदर्भ में जानकारी

- यह एच.ए.एल. द्वारा डिजाइन और विकसित 5 टन का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
- यह दो शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है और उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों की कई तकनीकी विशेषताएं इसे विरासत में मिली हैं।
- एल.सी.एच. को सियाचिन में फॉरवर्ड बेस में उतरने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर होने का गौरव प्राप्त है, जो 500 किलोग्राम भार के साथ समुद्र तल से 4,700 मीटर ऊपर स्थित है।

यार्ड 45006 वज्र: अपतटीय गश्ती जहाज

- केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने 6वां अपतटीय गश्ती पोत "45 यार्ड 45006 वज्र" लॉन्च किया है।

यार्ड 45006 वज्र के संदर्भ में जानकारी

- यह तटीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है।
- यह पोत, केंद्र के 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित है।
- पोत को अत्याधुनिक मशीनरी, उपकरण और नेविगेशन सिस्टम से सुसज्जित किया गया है।
- इस पोत का विशेष आर्थिक क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी, तस्करी विरोधी अभियानों के साथ-साथ दिन और रात की निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा।
- यह दो डीजल चालित इंजनों से सुसज्जित है और 26 समुद्री मील की अधिकतम गति तक पहुँच सकता है।
- जहाज को सी.आर.एन.-91 और 7 मि.मी. की बंदूकों और एक अभिन्न जुड़वां इंजन वाले हेलीकॉप्टर से सुसज्जित किया जाएगा, जो इसकी परिचालन, निगरानी, खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाएगा।
- इसमें अल्ट्रा-आधुनिक तकनीक, परिष्कृत नेविगेशनल और नवीनतम संचार प्रणालियों के साथ दो नेविगेशन रडार हैं।

gradeup

यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स फरवरी 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co